दूसरा अध्याय

निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 ओंकारेश्वर सागर परियोजना (नहरें) का निर्माण

दूसरा अध्याय

निष्पादन लेखापरीक्षा

नर्मदा घाटी विकास विभाग

2.1 ओंकारेश्वर सागर परियोजना (नहरें) का निर्माण

2.1.1 प्रस्तावना

नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण[1] ने नर्मदा नदी से प्रत्येक वर्ष में मध्य प्रदेश राज्य को 22,511.01 मिलियन क्यूबिक मीटर (एम.सी.एम.) जल आवंटित किया (दिसम्बर 1979)। ओंकारेश्वर सागर परियोजना (ओ.एस.पी.) 1,300 एम.सी.एम. नर्मदा जल के उपयोग के लिए मध्य प्रदेश शासन की एक वृहद बहुउद्देश्यीय परियोजना है। परियोजना में तीन इकाईयाँ सम्मिलित हैं, यथा खंडवा जिले में ओंकारेश्वर में स्थित बाँध, नहरें तथा विद्युत गृह।

खंडवा, खरगोन एवं धार जिलों के 1.47 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र[2] की सिंचाई हेतु उद्देश्यित ओ.एस.पी. की नहर प्रणाली का जल भरण ओंकारेश्वर बाँध से होता है। ओ.एस.पी. (नहरें) में 362.88 कि.मी. लम्बाई की मुख्य नहर में कॉमन वॉटर कैरियर, बाईं तट नहर (एल.बी.सी.), दाईं तट नहर (आर.बी.सी.) एवं ओंकारेश्वर दाईं तट उद्वहन नहर (ओ.आर.बी.एल.सी.) सम्मिलित हैं। इसमें मुख्य नहरों की वितरिका नहरों, माइनरों एवं सब–माइनरों सहित 1,670.64 कि.मी. लम्बाई की वितरण प्रणाली का निर्माण परिकल्पित है। ओ.एस.पी. (नहरें) को चार चरणों में प्रारंभ किया गया, जैसा कि **तालिका 2.1.1** एवं **मानचित्र 2.1.1** में विवरण दिया गया है।

तालिका 2.1.1: ओ.एस.पी. (नहरें) के विभिन्न चरणों का विवरण

ओ.एस.पी. (नहरें) के चरण	आच्छादित नहरों का विवरण
चरण–I	0 कि.मी. से 12.39 कि.मी. तक कॉमन वाटर केरियर, 0 कि.मी. से 64.11 कि.मी. तक एल.बी.सी., 0 कि.मी. से 9.775 कि.मी. तक आर.बी.सी.
चरण–II	9.775 कि.मी. से 68.92 कि.मी. तक आर.बी.सी.
चरण–III	68.92 कि.मी. से 162.70 कि.मी. तक आर.बी.सी.
चरण–IV	ओ.आर.बी.एल.सी.

मानचित्र 2.1.1: ओ.एस.पी. (नहरें) का चरणवार कृषि योग्य कमान क्षेत्र

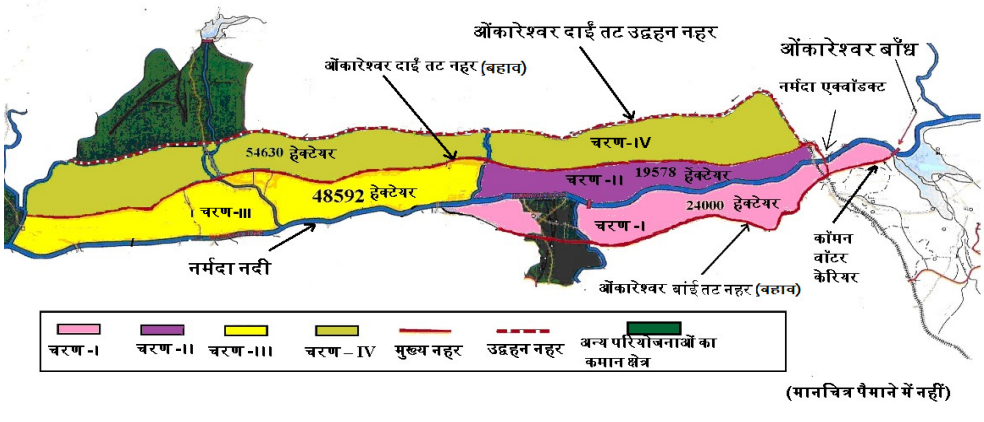

(स्रोतः नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अभिलेख)

---

1 गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान के मध्य नर्मदा नदी के जल बंटवारे के विवाद के संबंध में निर्णय देने के लिए अक्तूबर 1969 को नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया था।

2 क्षेत्र, जिसमें योजनान्तर्गत सिंचाई की जा सके एवं कृषि के लिए उपयुक्त है।

2.1.1.1 परियोजना लागत

ओ.एस.पी. के लिए मध्य प्रदेश शासन (जी.ओ.एम.पी.) द्वारा प्रदान किए गए प्रशासनिक अनुमोदन का विवरण **तालिका 2.1.2** में दिया गया है।

तालिका 2.1.2: ओ.एस.पी. के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन

प्रशासनिक अनुमोदन का माह/वर्ष	अनुमोदित लागत (₹ करोड़ में)	मूल्य स्तर वर्ष[3]	परियोजना लागत के अवयव
अगस्त 1991	788.03	1987	बाँध एवं विद्युतगृह के लिए ₹ 462.72 करोड़ एवं नहरों के लिए ₹ 325.31 करोड़
जून 1996	1,784.29	1993	बाँध एवं विद्युतगृह के लिए ₹ 1,076.29 करोड़ एवं नहरों के लिए ₹ 708 करोड़
मार्च 2011	2,504.80	2009	मार्च 2011 एवं मई 2015 के पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन पूर्ण रूप से नहरों के लिए थे। बाँध एवं विद्युतगृह नवम्बर 2007 में पूर्ण हुए थे।
मई 2015	3,699.48	2014	

योजना आयोग ने परियोजना के लिए ₹ 1,784.29 करोड़ की निवेश अनापत्ति राज्य योजना के अंतर्गत इसे मार्च 2010 तक पूरा करने के लिए अनुमोदित की (मई 2001)। बाद में, ओ.एस.पी. (नहरें) के लिए ₹ 2,504.80 करोड़ की पुनरीक्षित निवेश अनापत्ति, परियोजना को मार्च 2014 तक पूर्ण करने की प्रतिबद्धता के साथ सितम्बर 2010 में अनुमोदित की गई थी, जिसे योजना आयोग द्वारा बाद में मार्च 2017 तक के लिए पुनरीक्षित किया था (सितम्बर 2014)। ओ.एस.पी. (नहरें) के सभी चार चरण भारत सरकार (जी.ओ.आई.) के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत निधिकरण के लिए सम्मिलित किए गए थे, जैसा कि **तालिका 2.1.3** में विवरण दिया गया है:

तालिका 2.1.3: ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत ओ.एस.पी. (नहरें) को चरणवार सम्मिलित करने के विवरण

चरण	चरण–I	चरण–II	चरण–III	चरण–IV
ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत सम्मिलित होने का वर्ष	2003–04	2007–08	2007–08	2014–15

ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत अलग–अलग चरणों/वर्षों में केंद्रीय और राज्य के अंश 25:75 और 90:10 के बीच भिन्न भिन्न थे। मार्च 2017 तक, ओ.एस.पी. (नहरें) के निर्माण पर ₹ 3,076.51 करोड़ का व्यय किया गया था और मुख्य नहरों के 96.46 प्रतिशत और वितरण प्रणाली के 88.60 प्रतिशत का निर्माण कर 1.28 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की गई थी।

2.1.2 संगठनात्मक संरचना

ओ.एस.पी. (नहरें) का कार्यान्वयन नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एन.वी.डी.ए.) द्वारा किया जा रहा है, जो नर्मदा घाटी विकास विभाग (एन.वी.डी.डी.) के अंतर्गत एक बहु–विषयक प्राधिकरण है। एन.वी.डी.ए. के प्रमुख एक अध्यक्ष होते है। एन.वी.डी.ए. के उपाध्यक्ष, इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जिन्हें एन.वी.डी.ए. के पाँच सदस्यों[4] द्वारा सहायता दी जाती है। सदस्य (अभियांत्रिकी) सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, क्रियान्वयन और निगरानी के लिए उत्तरदायी है।

---

[3] मूल्य स्तर वर्ष, एकीकृत दरों की अनुसूची का वर्ष है, जिसके आधार पर परियोजना की प्राक्कलित लागत तैयार की गई थी। प्राक्कलनों को तैयार करने के लिए एकीकृत दरों की अनुसूची, जल संसाधन विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है।

[4] सदस्य (अभियांत्रिकी), सदस्य (वित्त), सदस्य (पुनर्वास), सदस्य (ऊर्जा) एवं सदस्य (पर्यावरण एवं वन)

क्षेत्र स्तर पर, मुख्य अभियंता, निचली नर्मदा परियोजनाएं, इंदौर, ओ.एस.पी. (नहरें) के समग्र क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। वह, अधीक्षण यंत्रियों (एस.ई.), कार्यपालन यंत्रियों (ई.ई.) के साथ–साथ सहायक यंत्रियों/कर्मचारियों द्वारा सहायित है, जैसा कि **चार्ट 2.1.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.1.1: ओ.एस.पी. (नहरें) के क्रियान्वयन के लिए एन.वी.डी.ए. के क्षेत्र स्तर की संगठन संरचना

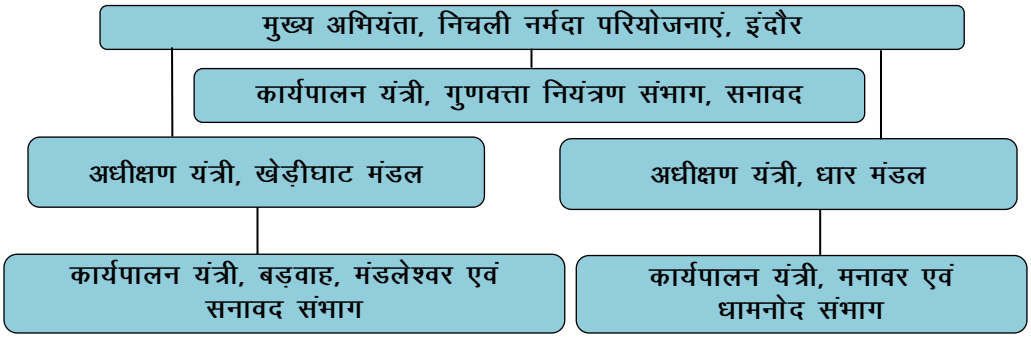

2.1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

'ओ.एस.पी. (नहरें) के निर्माण' की निष्पादन लेखापरीक्षा यह आंकलित करने के लिए संचालित की गई थी कि क्या:

- निधियां पर्याप्त रूप से उपलब्ध थी और प्रभावी ढंग से उपयोग की गईं;
- नहर परियोजना की आयोजना पर्याप्त थी और इसे अनुबंधों की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार एवं विशिष्टियों के अनुसार प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया गया था; तथा,
- परियोजना के लिए गुणवत्ता नियंत्रण और निगरानी तंत्र प्रभावी थे।

2.1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित से लिए गए मानदंडों पर आधारित हैं:

- मध्य प्रदेश निर्माण विभाग (एम.पी.डब्ल्यू.डी.) नियमावली;
- सिंचाई कार्यों के लिए विशिष्टियाँ, गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली, तकनीकी परिपत्र, कार्यों के लिए दरों की एकीकृत अनुसूची (यू.एस.आर.) और मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन विभाग (डब्ल्यू.आर.डी.) द्वारा जारी अन्य आदेश;
- भारत सरकार द्वारा जारी जल संसाधन परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देश एवं भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी संबद्ध भारतीय मानक (आई.एस.) कोड;
- ओ.एस.पी. (नहरें) का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.); तथा
- ठेकेदारों के साथ अनुबंधों की निबंधन एवं शर्तें ।

2.1.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

'ओ.एस.पी. (नहरें) के निर्माण' की निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, ओ.एस.पी. (नहरें) की आयोजना, कार्यान्वयन एवं क्रियान्वयन से संबंधित अभिलेखों की जाँच की गई और एन. वी.डी.ए. मुख्यालय और संबद्ध सी.ई., एस.ई. तथा ई.ई. के कार्यालयों से संबंधित जानकारी एकत्रित की गई। इसमें 2012–13 से 2016–17 की अवधि के दौरान कार्यों के क्रियान्वयन के सभी छः टर्नकी निर्माण अनुबंधों और पांच परामर्श अनुबंधों का परीक्षण सम्मिलित था, जैसा कि **परिशिष्ट 2.1** में विवरण दिया गया है।

लेखा परीक्षा के उद्देश्य, मानदंड, तथा कार्यप्रणाली पर 28 मार्च 2017 को आयोजित प्रवेश सम्मेलन में उपाध्यक्ष, एन.वी.डी.ए., जो अतिरिक्त मुख्य सचिव (ए.सी.एस.), एन.वी.डी.डी. भी हैं, के साथ चर्चा की गई। प्रारूप प्रतिवेदन 30 अगस्त 2017 को एन.वी.डी.डी. को जारी किया गया। 30 जनवरी 2018 को अतिरिक्त मुख्य सचिव एन.वी.डी.डी. के साथ आयोजित निर्गम सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों पर भी चर्चा की गई थी।

एन.वी.डी.डी. के उत्तरों एवं निर्गम सम्मेलन के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को सम्मिलित करते हुए पुनरीक्षित प्रतिवेदन एन.वी.डी.डी. को 28 मार्च 2018 को जारी किया गया था। पुनरीक्षित प्रतिवेदन पर उत्तर मई 2018 तक प्रतीक्षित थे।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.6 परियोजना निधिकरण

ओ.एस.पी. (नहरें) का मार्च 2011 का ₹ 2,504.80 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन मई 2015 में ₹ 3,699.48 करोड़ तक बढ़ा था। लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि परियोजना लागत में वृद्धि, मुख्य रूप से कमान क्षेत्र विकास (सी.ए.डी.[5]) कार्यों (₹ 588.52 करोड़), मूल्य वृद्धि (₹ 95.16 करोड़) एवं भूमि अधिग्रहण (₹ 69.70 करोड़) में वृद्धि के कारण थी।

परियोजना के लिए निधियां राज्य बजट के माध्यम से प्रदान की गईं हैं। मार्च 2017 तक नहरों के निर्माण पर किए गए कुल ₹ 3,076.51 करोड़ के व्यय में से ₹ 631.32 करोड़ भारत सरकार द्वारा ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदान किए गए थे, ₹ 331.97 करोड़ राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ऋण से आवर्धित किए गए तथा शेष ₹ 2,113.22 करोड़ राज्य संसाधनों से प्राप्त किए गए थे। ओ.एस.पी. (नहरें) के लिए 2012–17 की अवधि के दौरान बजट प्रावधान एवं उपयोग का विवरण **तालिका 2.1.4** में दिया गया है:

तालिका 2.1.4: 2012–17 के दौरान ओ.एस.पी. (नहरें) के निधिकरण का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2012–13	579.85	575.09	4.76
2013–14	426.61	425.18	1.43
2014–15	205.89	199.60	6.29
2015–16	252.37	239.15	13.22
2016–17	310.10	241.27	68.83
2012–17 के लिए कुल	**1,774.82**	**1,680.29**	**94.53**

(स्रोतः संबद्ध वर्षों के विस्तृत विनियोग लेखे)

चार्ट 2.1.2: ओ.एस.पी. (नहरें) में सिंचाई क्षमता का सृजन

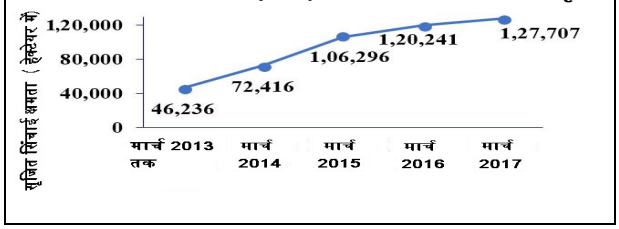

वर्षों 2015–16 एवं 2016–17 के दौरान बचतें मुख्य रूप से नहर कार्यों की धीमी प्रगति के कारण थीं, जिसके परिणामस्वरूप सिंचाई क्षमता (आई.पी.) का कम सृजन हुआ था जैसा कि **चार्ट 2.1.2** दर्शाया गया है।

2.1.7 परियोजना की आयोजना एवं कार्यान्वयन

ओ.एस.पी. (नहरें) की भौतिक प्रगति के चरणवार विवरण **तालिका 2.1.5** में दिए गए हैं:

[5] कमान क्षेत्र विकास में मुख्य रूप से प्रत्येक नहर के कमान क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र चैनल एवं क्षेत्र नालियों का विकास करना सम्मिलित होता है।

तालिका 2.1.5: कार्यों की प्रगति का चरणवार विवरण

चरण		चरण–I			चरण–II	चरण–III	चरण–IV	कुल
नहरें		कॉमन वाटर केरियर	एल.बी.सी.	आर.बी.सी.	आर.बी.सी.	आर.बी.सी.	ओ.आर.बी.एल.सी.	
मुख्य नहर (कि.मी. में)	आयोजना बद्ध	86.178			59.14	94	123.565	**362.883**
	उपलब्धि (मार्च 2017)	86.178			58.64	93.775	111.47	**350.063**
वितरण नेटवर्क (कि.मी. में)	आयोजना बद्ध	218.96			154.799	544.64	752.24	**1,670.639**
	उपलब्धि (मार्च 2017)	171.30			125	451.71	732.24	**1,480.25**
मार्च 2017 तक मुख्य नहर एवं वितरण नेटवर्क की समग्र उपलब्धि (प्रतिशत में)		84.38			85.84	85.41	96.34	**90.00**
नहरों के निर्माण के लिए अनुबंध की तिथियां		03–05–2006			27–03–2008	28–02–2008	26–03–2011	
पूर्णता की नियत तिथि		नवम्बर 2008			सितम्बर 2010	फरवरी 2011	मार्च 2014	
पुनरीक्षित लक्ष्यित तिथियां		30–06–2018			30–06–2018	31–12–2018	25–12–2017	

(स्रोतः एन.वी.डी.ए. के अभिलेख)

2.1.7.1 ओ.एस.पी. (नहरें) के क्रियान्वयन में विलंब

ओ.एस.पी. (नहरें) का निर्माण टर्नकी आधार पर पाँच ठेकेदारों को सौंपा गया था। टर्नकी ठेकेदारों द्वारा क्रियान्वित किए गए कार्यों की निगरानी, गुणवत्ता नियंत्रण और पर्यवेक्षण के संबंध में एन.वी.डी.ए. को परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए सलाहकार भी नियुक्त किए गए थे, जैसा कि **परिशिष्ट 2.1** में विवरण दिया गया है। अभिलेखों की जाँच में प्रकट हुआ कि सभी चरणों में नहरों का निर्माण ठेकेदारों ने विलंबित किया था।

टर्नकी अनुबंधों की शर्त 71.1 के अनुसार, ठेकेदारों को आंकलित किए गए मासिक नकद प्रवाह विवरण के साथ कार्य का कार्यक्रम प्रस्तुत करना था। ठेकेदार के कार्य के कार्यक्रम की निगरानी प्रत्येक छः माह में की जानी थी। कार्य की प्रगति में किसी भी कमी की स्थिति में, अनुबंध की शर्त 115 के अंतर्गत यथा–प्रावधानित, जब तक कि कमी पूर्ण नहीं हो जाती, ठेका मूल्य के 10 प्रतिशत तक शास्ति को आरोपित किया जाना था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि मुख्य अभियंता द्वारा ठेकेदारों के कार्य के कार्यक्रम के साथ उपलब्धियों की छः मासिक समीक्षाएं नियमित रूप से आयोजित नहीं की गई थीं, जैसा कि **तालिका 2.1.6** में विवरण दिया गया है :

तालिका 2.1.6: मार्च 2017 तक की स्थिति में छमाही समीक्षा बैठकों की चरणवार स्थिति

बैठकों का विवरण	चरण–I	चरण–II	चरण–III	चरण–IV	
				समूह–I	समूह–II
आवश्यक बैठकों की संख्या	21	13	18	18	12
ली गई बैठकों की संख्या	4	3	4	1	2
समीक्षा बैठक की अद्यतन दिनांक	नवम्बर 2008	अप्रैल 2010	मार्च 2010	जुलाई 2012	जुलाई 2013

छमाही समीक्षा बैठकों को संचालित न किए जाने के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि कार्यों की प्रगति की प्रोग्राम इवेल्यूएशन एवं रिव्यू

तकनीक (पी.ई.आर.टी.[6]) का उपयोग करते हुए समीक्षा नहीं की जा रही थी यद्यपि, इसे विशेष रूप से परामर्श अनुबंध के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत प्रावधानित किया गया था। इस प्रकार, टर्नकी ठेकों एवं परामर्श ठेकों की शर्तों के अनुसार क्षेत्र स्तर पर नहर कार्यों की प्रगति की निगरानी नहीं गई थी।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (जनवरी 2018) यह बताया गया कि पी.ई.आर.टी. कार्यप्रणाली पुरानी थी एवं अब कार्य बार चार्ट के अनुसार कार्यान्वित किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सलाहकारों को परामर्श ठेकों के अंतर्गत पी.ई.आर.टी. चार्ट को प्रदान किया जाकर प्रस्तुत करना आवश्यक था एवं पी.ई.आर.टी. छोड़ने हेतु ठेके को संशोधित नहीं किया गया था। आगे, लेखापरीक्षा ने देखा कि निगरानी के लिए उपयोग किए जा रहे बार चार्ट, कार्यों की वास्तविक स्थिति का केवल एक रैखिक प्रस्तुतीकरण था, पूर्णता के लिए समयरेखा एवं अवरोधों की दशा में साथ–साथ की जा सकने वाली वैकल्पिक गतिविधियों को पूरा करने एवं पहचानने के विवरण प्रदान नहीं करता था, ताकि परियोजना को संभाव्य न्यूनतम समय में पूर्ण किया जा सके।

नहर कार्यों के क्रियान्वयन में विलंबों के चरण वार विश्लेषण का विवरण नीचे दिया गया है।

- ***ओ.एस.पी. (नहरें) का चरण–I***

ओ.एस.पी. (नहरें) का चरण–I नवम्बर 2008 में पूर्ण होने हेतु नियत था। ठेकेदार[7] को बाद में वनभूमि व्यपवर्तन, कोर्ट आस्थगन, रेलवे से अनुमति प्राप्त करने में विलंब, भूमि अधिग्रहण में विलंब एवं नर्मदा बचाओ आंदोलन (एन.बी.ए.) के अवरोधों के कारणों का उल्लेख करते हुए 14 समयवृद्धियाँ प्रदान की गईं। एन.वी.डी.ए. ने इन विलंबों को परिस्थितिजन्य माना, जिसके लिए न तो विभाग न ही ठेकेदार उत्तरदायी था एवं ठेकेदार पर कोई शास्ति आरोपित नहीं की थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि वन भूमि के लिए अनापत्ति भारत सरकार द्वारा मार्च 2009 में प्रदान की गई थी। कोर्ट आस्थगन के कारण नहर कार्य जुलाई 2009 से फरवरी 2010 तक प्रभावित हुए थे। रेलवे से अनुमति जनवरी 2012 में प्राप्त हुई थी एवं एल.बी.सी. के लिए भूमि का अधिग्रहण फरवरी 2013 में पूर्ण हुआ था। आगे अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि नर्मदा नदी के किनारों के साथ की दो किलोमीटर की दूरी में पड़ने वाली वितरण प्रणाली में ग्रामीणों द्वारा व्यवधान हुआ था, जैसा कि **मानचित्र 2.1.2** में दर्शाया गया है। यद्यपि, ठेकेदार ने दो किलोमीटर की नर्मदा पट्टी (प्रसार) की दूरी को छोड़कर भी नहर कार्यों को पूर्ण नहीं किया था।

मानचित्र 2.1.2: नर्मदा नदी के साथ की दो किलोमीटर की पट्टी को दर्शाते हुए एल.बी.सी. का कमान क्षेत्र

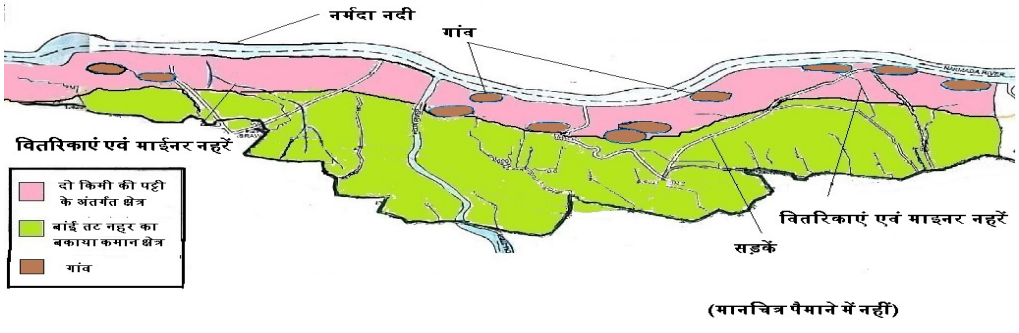

6 पी.ई.आर.टी. एक समय घटना नेटवर्क विश्लेषण प्रणाली है जिसमें एक परियोजना की विभिन्न घटनाओं को प्रत्येक के लिए आयोजनाबद्ध समय के साथ पहचाना जाता है एवं प्रत्येक घटना का अन्य घटनाओं के साथ संबंध दर्शाते हुए एक नेटवर्क में रखा जाता है।

7 मेसर्स सोम दत्त बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड

कार्यपालन यंत्री ने अधीक्षण यंत्री को सूचित किया (मई 2013) कि व्यवधान के अंतर्गत क्षेत्र कुल अधिग्रहित क्षेत्र के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं था एवं ठेकेदार द्वारा पर्याप्त संसाधनों के न लगाए जाने के कारण कार्यों की प्रगति धीमी थी। बाद में, मुख्य अभियंता ने ठेकेदार पर शास्ति आरोपित करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए समय–वृद्धि के लिए अनुशंसा की (जून 2013)। अप्रैल 2013 से दिसम्बर 2013 तक की अवधि के लिए समय–वृद्धि के अंत में, ओ.एस.पी. (नहरें) के चरण–I के शेष कार्य **तालिका 2.1.7** में दिए विवरण अनुसार थे।

तालिका 2.1.7: दिसम्बर 2013 की स्थिति में चरण–I के शेष कार्यों का विवरण

कार्यों की मद	एल.बी.सी. मुख्य नहर		एल.बी.सी. की वितरण प्रणाली	
	कुल मात्रा	शेष मात्रा	कुल मात्रा	शेष मात्रा
खुदाई/भराई (कि.मी. में)	64.11	5.11	188.90	90.07
सीमेंट कॉंक्रीट लाइनिंग (कि.मी. में)	64.11	18.11	188.90	104.72
संरचनाएं (संख्या में)	195	56	751	644

धीमी प्रगति को ध्यान में रखते हुए, मुख्य अभियंता की प्रमुखता वाली परियोजना समन्वय समिति (पी.सी.सी.[8]) ने अनुबंध की शर्त 92 (अनुबंध के उल्लंघन के कारण विभाग द्वारा इसे समाप्त किया जाना) के अंतर्गत ठेके को समाप्त करने के विकल्प पर विचार किया (मार्च 2014) किन्तु नई निविदा प्रक्रिया में छः माह के संभावित विलंब एवं शेष कार्य की लागत में वृद्धि के जोखिम को ध्यान में रखते हुए ठेके की निरंतरता को प्राथमिकता दी थी। तदनुसार टर्नकी ठेकेदार को कार्यों के कुछ भाग को उप–ठेकेदारों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने हेतु अनुमत किया, ताकि कार्य को जून 2014 तक पूर्ण किया जा सके। इसके बावजूद ठेकेदार कार्य पूर्ण करने में विफल रहा। यद्यपि, मुख्य अभियंता ने ठेकेदार के भाग पर विलंब के लिए शास्ति आरोपित नहीं की।

आगे संवीक्षा में प्रकट हुआ कि मुख्य अभियंता ने नहर कार्यों को अपनी भूमि पर पूर्ण करवाने में यदि किसानों की इच्छा नहीं हो तो ठेकेदार को दो किलोमीटर की नर्मदा पट्टी के अलावा जुड़े हुए क्षेत्र में शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया (अगस्त 2016)। यद्यपि, ऐसा नहीं हुआ एवं मई 2018 की स्थिति में, एल.बी.सी. का 34.36 किलोमीटर वितरण नेटवर्क अपूर्ण रहा। इन अपूर्ण नहरों में से 10.52 किलोमीटर वितरण नेटवर्क (31 प्रतिशत) दो किलोमीटर की नर्मदा पट्टी को छोड़कर था।

इस प्रकार, ओ.एस.पी. (नहरें) के चरण–I में धीमी प्रगति ठेकेदार पर आरोपणीय थी एवं ठेकेदार का उत्तरदायित्व निर्धारित किए बिना परिस्थितिजन्य विलंबों का उल्लेख करते हुए अनुवर्ती समयवृद्धियों की स्वीकृति विवेकहीन थी। अनुबंध के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार ठेकेदार पर शास्ति आरोपित न किए जाने के कारण ठेकेदार को ₹ 17.80 करोड़[9] का अदेय लाभ हुआ।

- ***ओ.एस.पी. (नहरें) का चरण–II***

ओ.एस.पी. (नहरें) के चरण–II के क्रियान्वयन में विलंब, नवम्बर 2013 तक समय–वृद्धि की विवेकहीन स्वीकृति एवं ठेकेदार[10] पर आरोपणीय विलंबों के लिए ₹ 19.30 करोड़ की शास्ति के अनारोपण को 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में चिन्हांकित किया गया था।

---

8 पी.सी.सी. में मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री एवं सलाहकार होते हैं, जिसे परामर्श अनुबंध की शर्त 21 के अंतर्गत रूपांकन, आरेखन एवं विशिष्टियों पर चर्चा कर परामर्श कार्यों की प्रगति में अनावश्यक विलंब को टालने के लिए गठित किया गया था।

9 चरण– I के लिए ठेका मूल्य (₹ 177.99 करोड़) के 10 प्रतिशत की दर से शास्ति।

10 मेसर्स सोम दत्त प्राईवेट लिमिटेड एवं मेसर्स करन डेवलपमेंट सर्विसेस (संयुक्त उपक्रम)

आगे, लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि धीमी प्रगति को ध्यान में रखते हुए ठेकेदार को उप–ठेके करने हेतु अनुमत किया गया (मार्च 2014) एवं कार्य को मार्च 2015 तक पूर्ण करने के लिए मई 2014 में तृतीय समय–वृद्धि प्रदान की गई। अधीक्षण यंत्री को प्रस्तुत कार्यों की प्रगति पर स्थिति प्रतिवेदन में कार्यपालन यंत्री मंडलेश्वर ने भी अनुबंध की शर्त 115 के अंतर्गत लक्षित प्रगति प्राप्त करने में कमी के कारण ठेकेदार पर शास्ति आरोपित करने हेतु प्रस्तावित किया (जुलाई 2014)। यद्यपि, कोई शास्ति आरोपित नहीं की गई। तत्पश्चात मुख्य अभियंता/एन.वी.डी.डी. द्वारा जून 2018 तक समय–वृद्धि प्रदान की गई थी। दिसम्बर 2017 की स्थिति में कार्य अपूर्ण था। शास्ति को आरोपित न किए जाने के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 19.30 करोड़[11] का अदेय लाभ हुआ।

- ***ओ.एस.पी. (नहरें) का चरण–III***

टर्नकी ठेके के लिए कार्यक्षेत्र के अंतर्गत, भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावों की प्रस्तुति के लिए ठेकेदार उत्तरदायी था। अनुमोदित कार्य का कार्यक्रम एवं भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए चार से छः माह की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए (जैसा कि एन.वी.डी.डी. ने आंकलित किया) वितरण नेटवर्क के भूमि अधिग्रहण के लिए समस्त प्रस्तावों को फरवरी 2009 तक प्रस्तुत करना आवश्यक था। यद्यपि, ठेकेदार ने फरवरी 2009 तक वितरण नेटवर्क के लिए 878.57 हेक्टेयर की आवश्यकता के विरूद्ध 104.76 हेक्टेयर (12 प्रतिशत) की भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे।

चरण– III के अंतर्गत नहर के कार्य, प्रारंभ में जुलाई 2009 से फरवरी 2010 के दौरान कोर्ट आस्थगन के कारण प्रभावित थे। इसके बाद ठेकेदार[12] को कोर्ट आस्थगन एवं भूमि अधिग्रहण में विलंब के आधार पर कार्य को जून 2012 तक पूर्ण करने के लिए प्रथम समय–वृद्धि प्रदान की गई। लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि ठेकेदार ने भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव, मुख्य नहर के लिए मार्च 2012 तक एवं वितरण नेटवर्क के लिए मई 2012 तक प्रस्तुत किए। आगे, पूरक भूमि अधिग्रहण प्रकरण भी दिसम्बर 2013 में प्रस्तुत किए गए थे। इसप्रकार, ठेकेदार ने जून 2012 तक की प्रथम समय–वृद्धि के अंतर्गत भी भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए।

ठेकेदार के भाग पर विलंबों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य अभियंता ने कोर्ट आस्थगन की अवधि को छोड़ते हुए अनुबंध के निबंधनों में ₹ 31.02 करोड़[13] की शास्ति की गणना की (जून 2013)। यद्यपि, जुलाई 2013 से जून 2014 तक की समय–वृद्धि को शास्ति आरोपित किए बिना प्रदान किया गया था (अक्तूबर 2013)। मुख्य अभियंता ने तभी या उसके पश्चात शास्ति क्यों नहीं आरोपित की, इसके कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। मुख्य अभियंता/एन.वी.डी.डी. ने शास्ति आरोपित किए बिना आगे की समय–वृद्धि (दिसम्बर 2018 तक) देना जारी रखा।

एन.वी.डी.डी. ने बताया (जनवरी 2018) कि भूमि अधिग्रहण में प्रक्रियागत विलंबों, एन.बी.ए. कार्यकर्ताओं द्वारा अवरोध, कोर्ट आस्थगन, नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के लागू होने, मानसून अवधि से परे असामान्य भारी वर्षा एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार नर्मदा नदी की दो किलोमीटर की दूरी में वितरण नेटवर्क के कार्यों को ग्राम–सभा के अनुमोदन के पश्चात किया जाना था जिसके कारण कार्य विलंबित हुआ था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। विलंब पूर्ण रूप से ठेकेदार के कारण थे, क्योंकि भूमि अधिग्रहण में प्रक्रियात्मक विलंब, एन.बी.ए. कार्यकर्ताओं द्वारा अवरोध, नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के लागू होने, इत्यादि जैसे कारक प्रस्तावों को प्रस्तुत करने हेतु लागू नहीं होते।

---

[11] चरण–II के लिए ठेका मूल्य (₹ 193 करोड़) के 10 प्रतिशत की दर से शास्ति

[12] मेसर्स सद्भाव इंजिनियरिंग लिमिटेड

[13] चरण–III के लिए ठेका मूल्य (₹ 310.20 करोड़) के 10 प्रतिशत की दर से शास्ति

ठेकेदार, जून 2012 की बढ़ी हुई अवधि में भी भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव प्रस्तुत करने में विफल रहा। जैसा कि मुख्य अभियंता ने जून 2013 में कार्य की बाधाओं की अवधि को वांछित रूप से ध्यान में रखते हुए ₹ 31.02 करोड़ की शास्ति की गणना की थी, तभी या उसके पश्चात शास्ति को आरोपित न करने के परिणाम स्वरूप ठेकेदार को ₹ 31.02 करोड़ का अदेय लाभ हुआ।

- ***ओ.एस.पी. (नहरें) का चरण– IV (समूह–II)***

सितम्बर 2011 से जनवरी 2016 के दौरान चरण–IV (समूह–II) के लक्ष्यों की उपलब्धि न होने के कारण, अधीक्षण यंत्री धार ने ठेकेदार[14] पर ₹ 34.92 करोड़ की शास्ति आरोपित की (फरवरी 2016)। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, शास्ति अंतरिम भुगतानों से वसूली योग्य थी। यद्यपि, कार्यपालन यंत्री मनावर ने मार्च 2017 तक मात्र ₹ 17.36 करोड़ वसूल किए। ₹ 17.56 करोड़ की शेष राशि वसूल नहीं की गई थी, जिसके कारण अभिलेखों में नहीं थे।

एन.वी.डी.डी. ने बताया (जनवरी 2018) कि शास्ति की शेष राशि ठेकेदार से वसूल की जाएगी।

जैसा कि पूर्ववर्ती कण्डिकाओं में चर्चा की गई, नहर कार्यों की पूर्णता में विलंब के लिए मुख्य कारण, भूमि अधिग्रहण में विलंब, ठेकेदारों द्वारा कार्यों के क्रियान्वयन की धीमी प्रगति एवं कार्यों का अपर्याप्त परिवीक्षण थे। एन.वी.डी.ए. ने कार्यों की पुनः व्यवस्था के लिए किसी भी ठेके को समाप्त करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ नहीं की। इन ठेकों में कमियों में से एक, अन्य ठेकेदार के नियोजन के माध्यम से शेष कार्यों को निष्पादित किए जाने के कारण अतिरिक्त लागत का वसूली के लिए डेबिटेबल क्लॉज़[15] का न होना था। ठेकेदारों से उनके भाग पर धीमी प्रगति हेतु शास्तियां, जो ठेके के अंतर्गत आरोपित की जा सकती थीं, भी आरोपित/वसूल नहीं की गई थीं। आगे, नहर कार्यों में विलंब के परिणामस्वरूप, एन.वी.डी.ए. को सलाहकारों को मूल्य वृद्धि के कारण ₹ 1.01 करोड़ का भुगतान करना पड़ा था।

अनुशंसा

एन.वी.डी.डी. को ठेकेदारों की उत्तरदेयता को निर्धारित करने के लिए ओ.एस.पी. (नहरें) में विलंब के समस्त प्रकरणों की समीक्षा करनी चाहिए एवं टर्नकी अनुबंधों के प्रावधानों के अनुसार शास्ति आरोपित की जा सकती है। एन.वी.डी.डी. को, विलंब के लिए मुख्य अभियंता व कार्यपालन यंत्री की जिम्मेदारी क्रमशः अनुबंध के अनुसार व उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार शास्ति अधिरोपित न करने के कारण तय करने के लिए, विलंब के प्रकरणों की भी समीक्षा करनी चाहिए। एन.वी.डी.डी. को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मैदानी अभियंताओं द्वारा प्रत्येक टर्नकी ठेके के अंतर्गत कार्यों की प्रगति की पर्याप्त रूप से निगरानी की जाती है ताकि ओ.एस.पी. (नहरें) की पूर्णता के लिए पुनरीक्षित लक्ष्य के भीतर सम्पूर्ण नहर प्रणाली को पूर्ण किया जा सके।

2.1.7.2 सिंचाई क्षमता का सृजन एवं उपयोग

ओ.एस.पी. (नहरें) के प्रत्येक चरण के अंतर्गत आयोजनाबद्ध/रूपांकित, सृजित एवं उपयोग की गई सिंचाई क्षमता का विवरण **तालिका 2.1.8** में दिया गया है।

---

[14] मेसर्स सद्भाव इंजिनियरिंग लिमिटेड – जी.के.सी. प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (संयुक्त उपक्रम)

[15] म.प्र. निर्माण विभाग नियमावली के प्रावधान के अनुसार, संभागीय अधिकारी ठेके को रद्द करने के बाद, शेष कार्य को मूल ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर दूसरे ठेकेदार को सौंप सकता है एवं मूल लागत से अधिक किए गए किसी व्यय को मूल ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा।

तालिका 2.1.8: मार्च 2017 की स्थिति में सिंचाई क्षमता का सृजन एवं उपयोग

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

चरण	चरण– I	चरण– II	चरण– III	चरण– IV	कुल
रूपांकित सी.सी.ए.	24,000	19,578	48,592	54,630	**1,46,800**
सृजित सिंचाई क्षमता	20,036	12,700	40,341	54,630	**1,27,707**
सिंचाई क्षमता का उपयोग	14,500	10,000	6,500	30,000	**61,000**

सृजित सिंचाई क्षमता के उपयोग में 66,707 हेक्टेयर (52 प्रतिशत) की कमी, कमान क्षेत्र विकास कार्यों में विलंब, अपूर्ण वितरण नेटवर्क एवं ओंकारेश्वर बाँध में अपर्याप्त पानी के कारण थी। चरण–III के अंतर्गत सृजित सिंचाई क्षमता के उपयोग में सारभूत कमी (84 प्रतिशत) मुख्य रूप से नहर में अपर्याप्त पानी के कारण थी। चरण–IV के अंतर्गत, जिसमें पाइप वितरण नेटवर्क था, सृजित सिंचाई क्षमता में 45 प्रतिशत कमी मुख्य रूप से पर्यवेक्षण नियंत्रण एवं डाटा अधिग्रहण प्रणाली (स्काडा[16]) के अपूर्ण कार्यों एवं विद्युत लाइन के उन्नयन न होने के कारण सिसलिया तालाब में जल पहुंचाने के लिए अपर्याप्त जल की पंपिंग एवं ओ.आर.बी.एल.सी. की मुख्य नहर में 37 कि.मी. के बाद पानी की कमी के कारण थी, जैसा कि **कण्डिका 2.1.8.7** में विवरण दिया गया है। कमान क्षेत्र विकास कार्यों के अंतर्गत जल के दक्ष उपयोग के लिए स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई प्रणालियों के उपयोग को उपलब्ध कराने के लिए अधोसंरचना का विकास भी ओ.आर.बी.एल.सी. (चरण–IV) के कमान क्षेत्र में नहीं किया गया था।

परियोजना में 1.47 लाख हेक्टेयर के लिए 1,356 एम.सी.एम. पानी की आवश्यकता के साथ 100 हेक्टेयर के लिए 0.924 एम.सी.एम. वार्षिक वाटर एलाउंस[17] परिकल्पित था। इसके विरूद्ध, जुलाई 2016 से मई 2017 के दौरान 61,000 हेक्टेयर की सिंचाई के लिए एन.वी.डी.ए. मात्र 407.824 एम.सी.एम. पानी को प्रदाय कर सका। इस प्रकार, वास्तविक वार्षिक वाटर एलाउंस (100 हेक्टेयर के लिए 0.612 एम.सी.एम.) नहर की रूपांकित क्षमता से कम था। लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि कॉमन वॉटर केरियर की रूपांकित क्षमता 8.88 एम.सी.एम. प्रतिदिन के विरूद्ध नवम्बर 2015 से फरवरी 2017 की अवधि के दौरान कॉमन वॉटर केरियर में अधिकतम वास्तविक प्रवाह 3.88 एम.सी.एम. प्रतिदिन था। मुख्य नहरों में पानी की अल्प उपलब्धता ने उन लघु नहरों में पानी के प्रवाह को भी प्रभावित किया जिनके ऑफटेक स्तर, मुख्य नहर के पूर्ण प्रवाह स्तर के दो तिहाई यानि, पानी की वर्तमान उपलब्धता के स्तर से ऊपर निर्धारित किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप, किसानों को लघु नहरों में पानी भरने के लिए कृत्रिम अवरोधों को बनाना पडा।

डायरेक्ट माइनर–13 को भरने के लिए एल.बी.सी. में कृत्रिम अवरोध (जुलाई 2017 की स्थिति में)

लेखापरीक्षा ने पाया कि मुख्य नहरों में पानी की कम उपलब्धता, बाँध के डूब क्षेत्र में रहने वाले परिवारों के पुनर्वास में विलंब के कारण बाँध में पानी के अपर्याप्त संग्रहण के कारण थी। बाँध में 196 मीटर के पूर्ण जलाशय स्तर (एफ.आर.एल.) तक पानी को भरने के लिए परियोजना प्रभावित परिवारों का पुनर्वास पूर्ण किया जाना था। मार्च 2018 की स्थिति में, 5,799 परिवारों का पुनर्वास किया गया था एवं 530 परिवारों का अब भी पुनर्वास किया जाना था।

---

[16] खेतों में पानी के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए स्काडा को संस्थापित किया जाना था।

[17] नहर शीर्ष पर पानी की निवल आवश्यकता।

एन.वी.डी.डी. ने बताया (जनवरी 2018) कि सिंचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग संभव नहीं था क्योंकि डूब क्षेत्र में कानून और व्यवस्था के कारण ओ.एस.पी. बाँध को उसकी पूर्ण क्षमता तक नहीं भरा जा सका एवं नर्मदा नदी की दो किलोमीटर की पट्टी में वितरण नेटवर्क के निर्माण पर रोक थी। आगे यह बताया गया कि जलाशय को अब 193 मीटर तक भरा गया था एवं आगामी रबी मौसम के दौरान अधिकतम पानी का उपयोग किया जाएगा ।

उत्तर इस सीमा तक स्वीकार्य नहीं है कि एन.वी.डी.डी. ने सी.ए.डी. कार्यों के अंतर्गत क्षेत्र नहरों के सृजन एवं स्काडा प्रणाली के संस्थापन की धीमी प्रगति को अनदेखा किया था, जिससे सृजित सिंचाई क्षमता के उपयोग को इष्टतम किया जा सकता था। आगे, नर्मदा नदी की दो किलोमीटर की पट्टी में वितरण नेटवर्क के निर्माण पर रोक से अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन प्रभावित हुआ था न कि पहले से सृजित सिंचाई क्षमता का उपयोग।

2.1.7.3 कमान क्षेत्र विकास कार्यों का विलंबित कार्यान्वयन

केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) दिशानिर्देशों[18] के अनुसार, सी.ए.डी. योजना को इस प्रकार बनाया एवं क्रियान्वित किया जाना चाहिए ताकि सृजित एवं उपयोग की गई सिंचाई क्षमता के अंतर को कम किया जा सके।

चार्ट 2.1.3: ओ.एस.पी. (नहरें) की सृजित सिंचाई क्षमता में कमान क्षेत्र विकास कार्यों की स्थिति

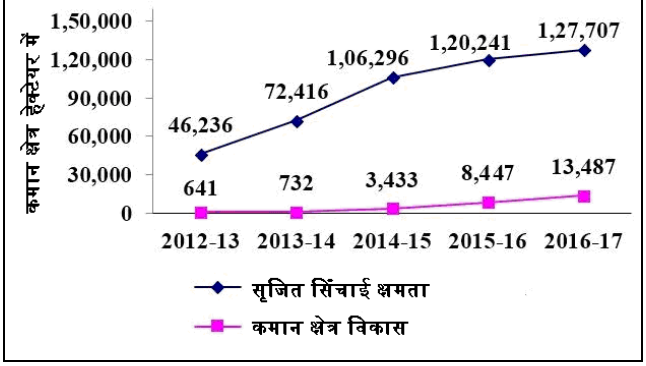

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि ओ.एस.पी. (नहरें) एवं सी.ए.डी. कार्यों का कार्यान्वयन साथ–साथ नहीं किया गया था, जैसा कि **चार्ट 2.1.3** में विवरण दिया गया है। जहाँ नहर प्रणाली का कार्य 2006–07 में प्रारंभ किया गया, वहीं कमान क्षेत्र में वाटर कोर्स एवं क्षेत्र नहरों के निर्माण का कार्य ओ.एस.पी. (नहरें) के जुलाई 2009 में पुनरीक्षित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) में सम्मिलित किया गया था। एन.वी.डी.डी. ने मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए एक शपथ पत्र (दिसम्बर 2013) में सी.ए.डी. के अंतर्गत ऑन फार्म विकास कार्यों को मार्च 2016 तक पूर्ण करने के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। यद्यपि, मार्च 2017 तक 1.28 लाख हेक्टेयर की सृजित सिंचाई क्षमता के विरूद्ध सी.ए.डी. कार्य 13,487 हेक्टेयर में पूर्ण हुए थे।

एन.वी.डी.डी. ने बताया (जनवरी 2018) कि कमान क्षेत्र में कम वर्षा एवं किसानों की मांग के कारण मुख्य नहर प्रतिवर्ष लगभग 11 माह तक प्रचालन में थी। विभाग के पास निर्माण गतिविधियों के लिए केवल एक माह था। इसलिए, कार्यक्रम के अनुसार सी.ए.डी. कार्यों का कार्यान्वयन संभव नहीं था। जब भी ओ.एस.पी. बाँध 193 मीटर तक भरा जाएगा, सी.ए.डी. के कार्यों को गति प्रदान की जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सी.ए.डी. कार्य का क्रियान्वयन खेतों में किया जाना था एवं इसका मुख्य नहर में पानी के प्रदाय से सीधा संबंध नहीं था। आगे, वर्ष 2012–17 के दौरान सी.ए.डी. कार्यों के लिए 52 प्रतिशत से 96 प्रतिशत तक अनुपयोगित कमान

[18] सी.डब्ल्यू.सी. भारत सरकार द्वारा जारी (1998) जल संसाधन परियोजनाओं के पर्यावरणीय परिवीक्षण हेतु दिशा निर्देश

क्षेत्र उपलब्ध था। विभाग का उत्तर कि बाँध में पानी के संग्रहण बढ़ने के साथ सी.ए.डी. कार्यों को गति प्रदान की जाएगी, विरोधाभासी है, क्योंकि पानी के लिए कृषकों की मांग बाँध में पानी के संग्रहण पर निर्भर नहीं होती है। बल्कि, यह कृषि पद्धति पर निर्भर रहती है, जो पूर्ववर्ती वर्षों से भिन्न नहीं होती।

अनुशंसा

एन.वी.डी.डी. को सी.ए.डी. कार्यों के तीव्र क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए, विशेष रूप से उन कमान क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई क्षमता सृजित की गई थी किन्तु अनुपयोगित रह गई, ताकि नहरों में उपलब्ध पानी का लाभ न्यूनतम समय में किसानों तक पहुंच सके।

2.1.7.4 उद्वहन सिंचाई नहरों के लिए अनुचित आयोजना

ओ.एस.पी. (नहरें) की डी.पी.आर. के अनुसार, आर.बी.सी. मुख्य नहर के 9.775 कि.मी. पर जंक्शन स्ट्रक्चर से ओ.आर.बी.एल.सी. के लिए 15 क्यूमेक[19] के बहाव के साथ पानी का उद्ववहन किया जाना था एवं सिसलिया बैलेंसिंग तालाब को भरा जाना था, जैसा कि **मानचित्र 2.1.3** में दर्शाया गया है।

मानचित्र 2.1.3: ओ.एस.पी. (नहरें) का रेखाचित्र

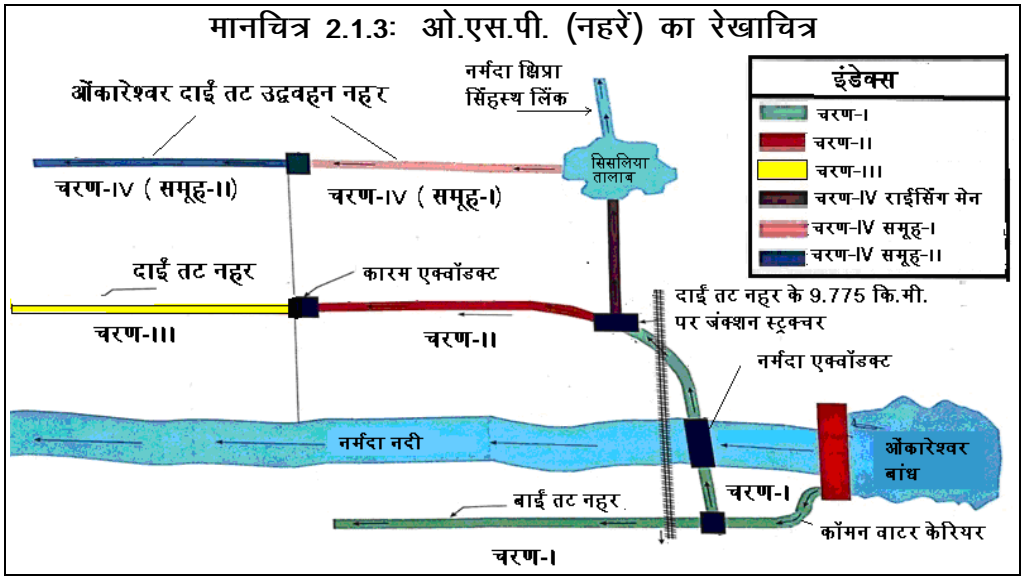

एन.वी.डी.ए. ने सिसलिया तालाब से उद्वहन करने के पश्चात क्षिप्रा नदी को पाँच क्यूमेक पानी प्रदान करने के लिए नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक (एन.के.एस.एल.) परियोजना को ओ.एस.पी. (नहरें) के आवर्धन के रूप में प्रस्तावित किया (अगस्त 2012)। एन.के.एस.एल. का उद्देश्य सिंहस्थ[20] 2016 में श्रद्धालुओं को साफ पानी प्रदान करना एवं देवास, इन्दौर एवं उज्जैन जिलों में निस्तार[21] के उद्देश्य से पानी प्रदान करना था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा एन.के.एस.एल. के लिए प्रशासनिक अनुमोदन अक्तूबर 2012 में प्रदान किया गया एवं परियोजना पर व्यय को ओ.एस.पी. (नहरें) के नामे किया गया ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि सिसलिया तालाब में पानी के प्रवाह में समान वृद्धि के बिना एन.के.एस.एल. परियोजना के कारण पानी की मांग में वृद्धि हुई थी। ओ.एस.पी. (नहरें) की डी.पी.आर. के अनुसार, ओ.आर.बी.एल.सी. 15 क्यूमेक के बहाव के लिए रूपांकित थी। इस प्रकार, सिसलिया तालाब[22] से 20 क्यूमेक पानी की आवश्यकता थी। यद्यपि, सिसलिया तालाब में पानी को प्रवाहित करने के लिए आर.बी.सी. जंक्शन

---

19 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड (क्यूमेक) पानी के प्रवाह की इकाई है।

20 सिंहस्थ (उज्जैन कुंभ मेला) उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है

21 घरेलू उपयोग यथा नहाना, धोना, पशुओं को पानी पिलाना इत्यादि हेतु पानी का उपयोग

22 ओ.आर.बी.एल.सी. हेतु 15 क्यूमेक एवं एन.के.एस.एल. हेतु पाँच क्यूमेक

स्ट्रक्चर (9.775 कि.मी. पर) पर संस्थापित (दिसम्बर 2013) किए गए पंपिंग स्टेशन की प्रवाह क्षमता मात्र 15 क्यूमेक थी। परिणामस्वरूप, सिसलिया तालाब को प्रदान किए जाने वाले पानी में पाँच क्यूमेक की कमी थी, जिससे उद्ववहन सिंचाई के लिए अपर्याप्त आयोजना इंगित हुई ।

एन.वी.डी.डी. ने बताया (जनवरी 2018) कि पानी को पंप किया जाना एक निरंतर प्रक्रिया थी एवं सिंचाई अवधि से पहले 10 एम.सी.एम. क्षमता के सिसलिया तालाब को उसकी पूर्ण क्षमता तक भरना आयोजनाबद्ध किया गया था। जैसा कि बैलेसिंग तालाब 10 एम.सी.एम. पानी को रखने के लिए पर्याप्त था एवं तालाब को आयोजना बद्ध रूप से भरा जाएगा, इस प्रकार पानी को विनियमित करने के लिए कोई समस्या नहीं होगी। एन.वी.डी.डी. ने आगे बताया कि ओ.एस.पी. चरण–IV से सिंचाई हेतु अधिकतम पानी की आवश्यकता रबी मौसम के केवल एक पखवाड़े में थी एवं उस समय एन.के.एस.एल. में पानी की आवश्यकता भी न्यूनतम होगी।

उत्तर एक पश्चविचार है, जैसा कि लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद, मुख्य अभियंता ने भी राइज़िंग मेन के पंपिंग प्रवाह को 15 क्यूमेक से 20 क्यूमेक तक बढ़ाने की आवश्यकता को आंकलित किया था एवं ठेकेदार से यदि आवश्यक हो तो, समान पाइप लाइन से रूपांकन में आवश्यक बदलाव करते हुए प्रणाली को 20 क्यूमेक प्रवाह के लिए जाँच करने हेतु आग्रह किया (जून 2017) । मुख्य अभियंता ने लेखा परीक्षा को आगे सूचित किया (मई 2018) कि सिसलिया तालाब में पंपिंग व्यवस्था के रूपांकन में 15 क्यूमेक से 20 क्यूमेक तक बदलाव हेतु प्रस्ताव एन.वी.डी.ए. में संवीक्षा के अधीन था। इसके अतिरिक्त, यदि सिसलिया तालाब उसकी पूर्ण क्षमता तक भरा भी जाता है तो पानी की आवक से अधिक प्रवाह की दृष्टि में रबी मौसम में यह 23 दिवसों में खाली हो जाएगा। ओ.एस.पी. के परियोजना प्रस्ताव (अक्तूबर 1993) में रबी मौसम में 135 दिवस के दौरान पानी की आवश्यकता को परियोजित किया गया था। एन.वी.डी.डी. ने एन.के.एस.एल. के माध्यम से दो माइक्रो सिंचाई योजनाएं पुनः आयोजनाबद्ध की थीं जिन्हें भी रबी मौसम के दौरान पर्याप्त पानी की आवश्यकता होगी। इस प्रकार, सिसलिया तालाब को पानी प्रदान करने के लिए आयोजना अपर्याप्त थी।

2.1.7.5 अनुचित आयोजना के कारण भूमि अधिग्रहण पर परिहार्य व्यय

म.प्र. निर्माण विभाग नियमावली में प्रावधानित है कि चक[23] सहित कमान क्षेत्र के आंकड़े पहले एकत्रित किए जाने चाहिए एवं उसके बाद प्राक्कलन तैयार किए जाने चाहिए। इन प्राक्कलनों के अनुसार भूमि आयोजना तैयार की जानी चाहिए।

टर्नकी ठेके की विस्तृत एन.आई.टी. की शर्त 1.3 के अनुसार, कार्य के क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए भूमि अधिग्रहण प्रकरण ठेकेदार द्वारा तैयार करना सम्मिलित था। स्थाई भूमि मुआवजा की लागत को शासन द्वारा वहन किया जाना था।

ओ.आर.बी.एल.सी. का नहर कार्य दो ठेकेदारों को सौंपा गया थाः समूह–I के अंतर्गत 0 कि.मी. से 51.281 कि.मी. तक एवं समूह–II के अंतर्गत 51.281 कि.मी. से 125 कि.मी. तक। ओ.आर.बी.एल.सी. (समूह–II) मुख्य नहर की सम्पूर्ण लम्बाई (73.972 कि.मी.) खुली नहर की भांति रूपांकित की गई थी, जिसके लिए एन.वी.डी.ए. ने जनवरी 2012 से नवम्बर 2012 के दौरान 375.709 हेक्टेयर निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए ₹ 38.18 करोड़ व्यय किए। ठेकेदार द्वारा सितम्बर 2011 से अप्रैल 2012 के दौरान प्रस्तुत किए गए भूमि अधिग्रहण प्रस्तावों के आधार पर भूमि को अधिग्रहित किया गया था।

---

[23] एक चक, नहर के एक ओर की भूमि का वह क्षेत्र है जिसे एक अकेले आउटलेट से कमानकृत किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि भूमि अधिग्रहण से पूर्व ओ.आर.बी.एल.सी. के कमान क्षेत्र के लिए चक आयोजना नहीं की गई, जैसा कि म.प्र. निर्माण विभाग नियमावली के अंतर्गत आवश्यक था। बाद में, चक आयोजना के दौरान ठेकेदार ने देखा कि ऑफ–टेक बिन्दुओं पर आवश्यक उच्चतम भूमि स्तर (एच.जी.एल.) के अभाव के कारण 3,000 हेक्टेयर भूमि को कमान के अंतर्गत नहीं लाया जा सका। इस क्षेत्र को कमान के अंतर्गत लाने के लिए, ठेकेदार ने खुली नहर को पाइप नहर में परिवर्तित करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (अगस्त 2012)। पी.सी.सी. जिसके प्रमुख, मुख्य अभियंता थे, ने ठेकेदार के 17.497 कि.मी. की खुली नहर (51.281 कि.मी. से 68.525 कि.मी. तक) एवं 56.475 कि.मी. की भूमिगत पाइप नहर (68.525 कि.मी. से 125 कि.मी. तक) के प्रस्ताव को अनुमोदित किया (अगस्त 2012)।

एन.वी.डी.ए. खुली नहर को भूमिगत नहर में बदलने का निर्णय लेने के समय तक 68.525 कि.मी. से 125 कि.मी. तक की नहर लम्बाई की खुली नहर के लिए 243 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण पर ₹ 26.33 करोड़ का व्यय पहले ही कर चुका था। भूमि को उसके सर्विस रोड के लिए प्रावधान के साथ पहले से अनुमोदित क्रॉस सेक्शन के लिए अधिग्रहित किया गया था। यद्यपि, पी.सी.सी. ने निश्चय किया कि आधिक्य की किसी निजी भूमि की लागत को ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा, इस निर्णय के लिए आधार का उल्लेख नहीं था किन्तु आवश्यकता में बदलाव के कारण आधिक्य की भूमि की मात्रा की गणना कभी नहीं की गई ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ओ.आर.बी.एल.सी. (समूह–II) की वितरण प्रणाली के लिए कोई स्थाई भूमि अधिग्रहण नहीं किया गया था, जिसे प्रारंभ से ही भूमिगत पाइप नहर की भांति रूपांकित किया गया था। यद्यपि, 56.475 कि.मी. की सम्पूर्ण पाइप मुख्य नहर लम्बाई के लिए ओ.आर.बी.एल.सी. की पाइप मुख्य नहर के लिए उपयोग किए गए 2.4 मीटर की पाइप की अधिकतम चौड़ाई एवं निरीक्षण पथ[24] के चार मीटर के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा ने ओ.आर.बी.एल.सी. (समूह–II) की भूमिगत पाइप मुख्य नहर के लिए 36 हेक्टेयर की भूमि की आवश्यकता की गणना की। इस प्रकार, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के पूर्व चक आयोजना को अंतिम रूप देने में मैदानी अभियंताओं की विफलता के कारण भूमिगत पाइप नहर के लिए 207 हेक्टेयर के अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण पर ₹ 22.43 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

एन.वी.डी.डी. ने बताया (जनवरी 2018) कि चरण–IV (समूह–II) में नहर के निर्माण के लिए भूमि, अनुमोदित क्रॉस सेक्शन, जिसमें सर्विस रोड, निरीक्षण पथ, साइड ड्रेन, पौधारोपण इत्यादि के प्रावधान किए गए थे, के अनुसार अधिग्रहित की गई थी। पौधारोपण को मुख्य नहर के दोनों ओर प्रस्तावित किया गया था एवं तदनुसार भूमि अधिग्रहित की गई थी। पौधारोपण एवं सर्विस रोड अनुबंध के क्षेत्र में थे एवं इस प्रकार, भूमि का अधिग्रहण आवश्यक था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि भूमि खुली मुख्य नहर के अनुमोदित क्रॉस सेक्शन के आधार पर अधिग्रहित की गई थी न कि भूमिगत पाइप नहर के लिए, जिसके लिए 243 हेक्टेयर भूमि के वास्तविक अधिग्रहण के विरूद्ध 36 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, भूमि अधिग्रहण का प्राथमिक उद्देश्य नहर का निर्माण था, न कि पौधारोपण एवं सर्विस रोड, जैसा कि एन.वी.डी.डी. ने औचित्य बताया।

अनुशंसा

एन.वी.डी.डी. को भूमि अधिग्रहण की मात्रा को निर्धारित करने के लिए म.प्र. निर्माण विभाग नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण न करने, जिसके कारण

[24] पाइप सिंचाई नेटवर्क की आयोजना एवं रूपांकन के लिए सी.डब्ल्यू.सी. दिशानिर्देश (2017) के अनुसार

ओ.आर.बी.एल.सी. के लिए भूमि अधिग्रहण पर परिहार्य व्यय हुआ, के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करना चाहिए ।

2.1.8 ठेका प्रबंधन

2.1.8.1 ठेकेदारों को किए गए कार्य के मूल्य से अधिक भुगतान

टर्नकी अनुबंधों की शर्त 23 के अनुसार, प्रभारी अभियंता को सूचना के अधीन, ठेकेदार निर्माण कार्य का भाग उपठेकेदारी पर दे सकता है। ऐसी कोई सूचना ठेकेदार को ठेके के अंतर्गत किसी दायित्व या कर्तव्य से मुक्त नहीं करेगी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि ओ.एस.पी. नहर के चरण–I एवं चरण–II के कार्यों के लिए दो टर्नकी ठेकेदारों[25] को कार्यों की धीमी प्रगति को ध्यान में रखते हुए उप ठेकेदारों के माध्यम से कार्य कार्यान्वित करने हेतु अनुमत किया गया था। पी.सी.सी. ने एक बैठक[26] (मार्च 2014) में एस्क्रो एकाउन्ट के माध्यम से उप–ठेकेदारों को सीधे भुगतान करने हेतु अनुशंसा की। टर्नकी ठेकों के अंतर्गत अनुमोदित भुगतान अनुसूची की दरों एवं ठेकेदारों व उप–ठेकेदारों द्वारा आपसी सहमति की दरों में अंतर के कारण अधिक भुगतान को, ठेकेदारों को भुगतान योग्य मूल्य वृद्धि में से समायोजित किया जाना चाहिए । शेष अधिक भुगतान को राष्ट्रीयकृत बैंक में लागू वाणिज्यिक ऋण पर ब्याज की प्रचलित दर के साथ ठेकेदारों को ऋण की भांति माना जाना था, जिसकी वसूली सुरक्षा जमा/विभाग में रखी गई ठेकेदारों की बैंक गारंटियों से सुनिश्चित की जानी थी। पी.सी.सी. ने आगे अनुशंसा की कि भुगतान के लिए प्रस्तावित प्रक्रिया के लिए एन.वी.डी.ए. के सक्षम प्राधिकारी से पुष्टि आवश्यक होगी।

मुख्य अभियंता ने पी.सी.सी. द्वारा अनुशंसित भुगतान प्रक्रिया के अनुमोदन हेतु एन.वी.डी.ए. से अनुरोध किया (मार्च 2014 एवं जून 2014)। यद्यपि लेखापरीक्षा, अभिलेखों से यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि एन.वी.डी.ए. द्वारा मुख्य अभियंता के अनुरोध पर क्या कार्रवाई की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पी.सी.सी. की अनुशंसा पर जबकि एन.वी.डी.ए. का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ था, अधीक्षण यंत्री ने बड़वाह एवं मंडलेश्वर के कार्यपालन यंत्रियों को एस्क्रो एकाउन्ट खोलने के लिए अधिकृत किया (मार्च 2014) एवं बैंकों से इन खातों को खोलने के लिए अनुरोध किया। बाद में, कार्यपालन यंत्री, ठेकेदारों एवं उप–ठेकेदारों को इन एस्क्रो एकाउन्ट में भुगतान कर रहे थे। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि ठेकेदारों एवं उप ठेकेदारों के मध्य समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) को कार्यपालन यंत्रियों एवं अधीक्षण यंत्री द्वारा साक्ष्यीकृत किया गया था। इस प्रकार, बड़वाह एवं मंडलेश्वर संभाग उप ठेकेदारों के साथ सीधे लेन–देन कर रहे थे, जो कि शासन के साथ ठेकेदार द्वारा कार्यान्वित ठेके में पक्षकार नहीं थे। एस्क्रो एकांउट के माध्यम से उप ठेकेदारों को अधिक भुगतान करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं इन अधिक भुगतानों को ठेकेदारों को ऋण की भांति माना जाना, टर्नकी अनुबंधों के संविदागत प्रावधानों से परे था एवं इससे ठेके दूषित हुए ।

आगे, जैसा कि ठेके की शर्त 16.1 के अंतर्गत प्रावधानित था, नियोक्ता के प्रतिनिधि को ठेके को संशोधित करने का कोई प्राधिकार नहीं था। इस प्रकार, मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री या कार्यपालन यंत्री टर्नकी अनुबंध के अंतर्गत भुगतान के लिए निबंधन एवं शर्तों से विचलन करने हेतु सक्षम नहीं थे। इसके अतिरिक्त, भुगतान के लिए यह प्रबंध किसी पूरक अनुबंध/शासन एवं ठेकेदारों के मध्य विद्यमान अनुबंधों में संशोधन से

---

[25] चरण–I: मेसर्स सोम दत्त प्राईवेट लिमिटेड तथा चरण–II: मेसर्स सोम दत्त प्राईवेट लिमिटेड एवं मेसर्स करण डेवलपमेंट सर्विसेस (संयुक्त उपक्रम)

[26] मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री (खेड़ीघाट), कार्यपालन यंत्री (सनावद) एवं कार्यपालन यंत्री (मंडलेश्वर) द्वारा भाग लिया गया

समर्थित भी नहीं था। लेखापरीक्षा ने देखा कि बाद में ठेकेदारों ने अधिक भुगतान पर ब्याज के उद्ग्रहण पर विवाद किया था। इस प्रकार, शासन के हित को भी जोखिम में डाला गया।

म.प्र. निर्माण विभाग नियमावली भी कुछ विशेष परिस्थितियों में ठेकेदारों को सुरक्षित अग्रिम, मोबिलाइजेशन अग्रिम एवं प्लांट एवं मशीनरी के लिए अग्रिम के भुगतान को छोड़कर ठेकेदारों को इस प्रकार के 'ऋण' के लिए प्रावधानित नहीं करती है। जैसा कि ठेकेदारों एवं उप–ठेकेदारों के मध्य आपसी सहमति की दरों पर, जो कि टर्नकी अनुबंध के अंतर्गत एन.वी.डी.ए. द्वारा ठेकेदारों को भुगतान योग्य दरों से अधिक थीं, कार्यपालन यंत्रियों द्वारा भुगतान किए गए थे, इसके परिणामस्वरूप, ₹ 60.17 करोड़ का अनियमित अधिक भुगतान हुआ, जैसा कि **तालिका 2.1.9** में विवरण दिया गया है।

तालिका 2.1.9: उप ठेकेदारों को अधिक भुगतान का संभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

संभाग का नाम एवं ओ.एस.पी. (नहरें) का चरण	उप ठेकेदारों की संख्या	उप ठेकेदारों के माध्यम से कार्यान्वित कार्य का अनुबंध मूल्य (जैसी कार्यपालन यंत्रियों द्वारा गणना की गई)	उप ठेकेदारों को भुगतान की गई राशि	अधिक भुगतान
1	2	3	4	5 = 4-3
बड़वाह (चरण–I)	35	23.57	46.38	22.81
मंडलेश्वर (चरण–II)	39	70.87	108.23	37.36
			कुल	**60.17**

(स्रोतः बड़वाह एवं मंडलेश्वर संभागों के अभिलेख)

आगे संवीक्षा में प्रकट हुआ कि बड़वाह एवं मंडलेश्वर के कार्यपालन यंत्रियों ने ₹ 55.58 करोड़ के अधिक भुगतान (ब्याज सहित), अस्वीकार्य मूल्य समायोजन एवं सुरक्षा जमा के विरूद्ध समायोजित किए, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को अदेय लाभ हुआ, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

- अनुबंधों की शर्त 113.2 के अनुसार, मूल्य समायोजन[27], केवल उस कार्य के लिए लागू होगा, जो निर्धारित अवधि में या वृद्धियों के ऐसे कारण जो ठेकेदार पर आरोपणीय न हों, में किया जाता हो।

जैसा कि कण्डिका 2.1.7.1 में चर्चा की गई, चरण–I एवं चरण–II के कार्यों के क्रियान्वयन में विलंब ठेकेदारों पर आरोपणीय थे एवं संभागों को कार्य में वांछित प्रगति प्राप्त न होने के कारण उप ठेकेदारों को नियुक्त करना पडा। इसलिए, ठेकेदारों को मूल्य समायोजन भुगतान योग्य नहीं था। यद्यपि, कार्यपालन यंत्रियों ने मार्च 2014 के उपरांत चरण–I के लिए ₹ 20.19 करोड़ एवं चरण–II के लिए ₹ 44.44 करोड़ के मूल्य समायोजन का अनियमित भुगतान किया। इनमें से, चरण–I के लिए ₹ 18.89 करोड़ एवं चरण–II के लिए ₹ 24.90 करोड़ उप–ठेकेदारों के माध्यम से कार्यान्वित किए गए कार्यों के लिए अधिक भुगतान (ब्याज सहित) के विरूद्ध समायोजित किए गए थे।

- अनुबंधों की शर्त 108.1 के अनुसार, ठेके के अंतर्गत सम्पूर्ण कार्य के पूर्ण होने पर अंतरिम भुगतानों से काटी गई सुरक्षा जमा (पाँच प्रतिशत) बैंक गारंटी में परिवर्तित की जाएगी। ठेके की निरंतरता के दौरान सुरक्षा जमा के समायोजन हेतु कोई प्रावधान नहीं था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि बड़वाह एवं मंडलेश्वर के कार्यपालन यंत्रियों ने ठेकेदारों को अधिक भुगतान (ब्याज सहित) के ₹ 11.79 करोड़ अनियमित रूप से ठेके

[27] मूल्य समायोजन श्रम, सीमेंट, स्टील एवं अन्य सामग्रियों की दर में तिमाही वृद्धि या कमी के लिए ठेकेदार को भुगतान की गई राशि में समायोजन है।

की निरंतरता के दौरान सुरक्षा जमा[28] के विरूद्ध समायोजित किए।

एन.वी.डी.डी. ने बताया (जनवरी 2018) कि कार्य को पूर्ण करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार मुख्य ठेकेदार एवं उप–ठेकेदार के मध्य आपसी सहमत दरों के अंतर्गत शेष कार्यों को उप–ठेकेदारों को नियोजित करते हुए पूर्ण करने का निश्चय किया गया था। आगे यह बताया गया कि उस समय पर पी.सी.सी. ने शेष कार्य की स्थिति को देखते हुए अनुबंध में प्रदान की गई शक्ति से सही निर्णय लिया था। बड़वाह संभाग (चरण–I) के प्रकरण में ₹ 15.32 लाख को छोड़कर, जो ठेके को अंतिम रूप देने से पूर्व वसूल कर लिए जाएंगे, अधिकांश अंतर मुख्य ठेकेदार से वसूल कर लिया गया था। मंडलेश्वर (चरण–II) के प्रकरण में, ₹ 25.75 करोड़ पहले ही मुख्य ठेकेदार द्वारा कार्यान्वित कार्य एवं मुख्य ठेकेदार को देय मूल्य वृद्धि में से वसूल किए जा चुके थे।

एन.वी.डी.डी. ने आगे बताया कि ठेकेदारों पर आरोपणीय न होने वाले कारणों के आधार पर वृद्धि प्रदान की गई थी, इसलिए, मूल्य वृद्धि न्यायोचित रूप से भुगतान की गई थी। सुरक्षा जमा के विरूद्ध अधिक भुगतानों को समायोजित करने के बारे में यह बताया गया कि किसी भी कारण से ठेकेदार से देय कोई भी राशि विभाग के पास उपलब्ध ठेकेदार के जमा से वसूल की जा सकती थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, उप ठेकेदारों का नियोजन, उन्हें उच्चतर दर पर भुगतान एवं ₹ 60.17 करोड़ के अधिक भुगतान को ठेकेदार को ऋण की भांति माना जाना, टर्नकी अनुबंध के साथ–साथ म.प्र. निर्माण विभाग नियमावली के क्षेत्र से परे था। पी.सी.सी. के साथ–साथ मुख्य अभियंता भी ठेके की शर्तों को संशोधित करने के लिए सक्षम नहीं थे। इस दृष्टि से, मुख्य अभियंता ने भी भुगतान प्रक्रिया के लिए कार्योत्तर अनुमोदन चाहा था (अगस्त 2017), यद्यपि, एन.वी.डी.ए. ने तीन वर्ष के पश्चात कार्योत्तर अनुमोदन चाहने के कारणों को प्रदान करने की अभ्युक्ति के साथ प्रस्ताव को मुख्य अभियंता को लौटा दिया (अगस्त 2017) एन.वी.डी.ए. का मत भी स्वीकार्य नहीं है। यद्यपि एन.वी.डी.ए. सम्पूर्ण मुद्दे से भिज्ञ था फिर भी उसने शासन के वांछित अनुमोदन के बिना उप–ठेकेदारों के लिए भुगतान की व्यवस्था की निरंतरता को अनुमत करना चुना इसलिए एन.वी.डी.ए. अनाधिकृत भुगतान प्रक्रिया में दोषी है।

आगे, दोनों ठेकेदारों को जिन आधारों पर समय–वृद्धि प्रदान की गई थी, विवेकहीन थे एवं ठेकेदार उन पर आरोपणीय विलंबों के कारण किसी मूल्य समायोजन के लिए पात्र नहीं थे, जैसा कि **कण्डिका 2.1.7.1** में विवरण दिया गया है। अनुबंध की शर्त 108.1 को ध्यान में रखते हुए ठेकेदार के ऋण के विरूद्ध सुरक्षा जमा का समायोजन भी अनियमित था। इन समायोजनों के परिणामस्वरूप, सुरक्षा जमा की कटौती का उद्देश्य भी विफल हुआ क्योंकि यह कार्य के क्रियान्वयन के दौरान एवं त्रुटि दायित्व अवधि के दौरान शासन के हित को सुरक्षित करने के लिए होती है।

इस प्रकार, कार्यपालन यंत्रियों द्वारा अप्रैल 2014 से मई 2017 के दौरान मूल्य समायोजनों एवं सुरक्षा जमा के ₹ 55.58 करोड़ के अनियमित समायोजन से अधिक भुगतानों पर ठेकेदारों के ब्याज के भार को कम किया गया था। इन अनियमित समायोजनों एवं पहले से वसूल किए गए ब्याज के ₹ 5.64 करोड़ को छोड़ने के पश्चात ठेकेदार मई 2017 तक ₹ 60.17 करोड़ के अधिक भुगतानों पर ₹ 13.15 करोड़[29] के ब्याज के भुगतान हेतु उत्तरदायी थे।

---

[28] बड़वाह : ₹ 6.71 करोड़ (चरण–I) एवं मंडलेश्वर : ₹ 5.08 करोड़ (चरण–II)

[29] दोनों ठेकेदारों को ऋण पर ब्याज की गणना के लिए कार्यपालन यंत्री बड़वाह एवं मंडलेश्वर द्वारा लागू की गई 14.50 प्रतिशत की दर

अनुशंसा

एन.वी.डी.डी. सतर्कता के दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना उप–ठेकेदारों को भुगतान के लिए सम्पूर्ण प्रक्रिया की समीक्षा कर सकता है। एन.वी.डी.डी. अनुबंधों की निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन में ठेकेदारों को मूल्य समायोजन के भुगतान एवं सुरक्षा जमा के अनियमित समायोजन के लिए उत्तरदायित्व भी निर्धारित कर सकता है। अधिक भुगतान, ठेकेदारों से वसूल किए जा सकते हैं।

2.1.8.2 मूल्य समायोजन के अनियमित भुगतान

टर्नकी अनुबंध के प्रावधानों के अंतर्गत मजदूरी, सीमेंट, स्टील एवं अन्य सामग्री की दरें बढ़ने या घटने के लिए ठेकेदार को भुगतान की गई राशि को त्रैमासिक समायोजित किया जाएगा।

- ***विलंबों के लिए शास्ति आरोपित किए जाने के बावजूद मूल्य समायोजन का भुगतान***

अनुबंध की शर्त 113.2 के अनुसार, मूल्य समायोजन की शर्त मात्र उस कार्य के लिए लागू होगी जो निर्धारित समय में या ठेकेदार पर आरोपणीय न होने वाले कारणों के कारण प्रदान की गई वृद्धि के दौरान किया गया हो।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि सितम्बर 2011 से जनवरी 2016 के दौरान ओ.आर.बी.एल.सी. (समूह–II) में लक्ष्यों की उपलब्धि न होने के कारण अधीक्षण यंत्री, धार ने ठेकेदार पर शास्ति आरोपित की थी (फरवरी 2016)। इस प्रकार, ठेकेदार को कोई मूल्य समायोजन भुगतान योग्य नहीं था। यद्यपि, कार्यपालन यंत्री मनावर ने जनवरी 2016 से सितम्बर 2017 तक की अवधि के लिए मूल्य समायोजन के ₹ 22.49 करोड़ का अनियमित भुगतान जुलाई 2016 से जनवरी 2018 के दौरान किया। आगे, अप्रैल 2014 (पूर्णता की निर्धारित अवधि के पश्चात) एवं दिसम्बर 2015 के मध्य भुगतान किए गए मूल्य समायोजन के ₹ 12.31 करोड़ भी वसूल नहीं किए गए थे।

- ***वर्टिकल टरबाइन पम्पों के लिए अनियमित, अधिक मूल्य समायोजन***

ओ.आर.बी.एल.सी. (समूह–I) के लिए अनुबंध की शर्त 113 के अंतर्गत, वर्टिकल टरबाईन (वी.टी.) पम्प पर मूल्य समायोजन इलेक्ट्रिकल मशीनरी के भारत में औसत थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) में वृद्धि या कमी के आधार पर ठेकेदार को भुगतान योग्य था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि कार्यपालन यंत्री, धामनोद ने जुलाई 2011 से जून 2016 की अवधि के दौरान वी.टी. पम्प पर मूल्य समायोजन के लिए भुगतान करते समय इलेक्ट्रिकल पम्प के लिए त्रुटिपूर्ण रूप से डब्ल्यू.पी.आई. को अपनाया। यद्यपि, ठेकेदार द्वारा सभी वी.टी. पम्प दिसम्बर 2013 में संस्थापित कर दिए गए थे। इसलिए जनवरी 2014 से जून 2016 की अवधि के लिए वी.टी. पम्प पर मूल्य समायोजन भुगतान योग्य नहीं था। त्रुटिपूर्ण मूल्य सूचकांक अपनाए जाने एवं जनवरी 2014 से जून 2016 के दौरान मूल्य समायोजन के लिए अनियमित भुगतान करने के परिणामस्वरूप, कार्यपालन यंत्री ने वी.टी. पम्प पर मूल्य समायोजन की राशि ₹ 1.75 करोड़ का अधिक भुगतान किया।

इसे इंगित किए जाने पर, कार्यपालन यंत्री ने त्रुटिपूर्ण सूचकांक पर अधिक मूल्य समायोजन हेतु ठेकेदार से ₹ 0.73 करोड़ वसूल किए। यद्यपि, वी.टी. पम्प के संस्थापन के माह के बाद मूल्य समायोजन के अनियमित भुगतान के लिए ₹ 1.02 करोड़ वसूल नहीं किए गए थे।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने निर्गम सम्मेलन में बताया (जनवरी 2018) कि प्रकरण की जाँच की जाएगी एवं संस्थापन के माह के बाद यदि कोई अधिक भुगतान हो तो ठेकेदार से वसूल किया जाएगा।

अनुशंसा

एन.वी.डी.डी. ठेकेदारों से अधिक भुगतान की वसूली कर सकता है एवं सर्तकता के दृष्टिकोण से ठेकेदारों को मूल्य समायोजन के अनियमित भुगतान का परीक्षण कर सकता है।

2.1.8.3 विभाग द्वारा कार्यान्वित कार्य की लागत की वसूली न होना

टर्नकी ठेके के कार्यक्षेत्र के अनुसार, निर्माण कार्य के कारण हानि के लिए किसानों को मुआवजे का भुगतान, नहर की सफाई एवं पोल शिफ्टिंग सहित समस्त कार्य ठेकेदार द्वारा कार्यान्वित किए जाने थे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि कार्यपालन यंत्री बड़वाह ने किसानों को भुगतान तथा अन्य ठेकेदारों के माध्यम से पोल शिफ्टिंग एवं नहर की सफाई के कार्यों को कार्यान्वित कराने के लिए ₹ 1.28 करोड़ व्यय किए (फरवरी 2014 से अगस्त 2016)। ये कार्य ओ.एस.पी. (नहरें) चरण–I के लिए टर्नकी ठेके के क्षेत्र के अंतर्गत थे। इस प्रकार, कार्यपालन यंत्री ने ₹ 1.28 करोड़ का अप्राधिकृत व्यय किया।

एन.वी.डी.डी. ने बताया (जनवरी 2018) कि ठेकेदार से ₹ नौ लाख वसूल किए गए थे एवं ₹ 1.19 करोड़ की शेष राशि कार्य को अंतिम रूप देने से पूर्व वसूल की जाएगी।

2.1.8.4 सुरक्षा जमा का अनियमित परिवर्तन

अनुबंधों की शर्त 108.1 के अनुसार, मध्यवर्ती भुगतानों में काटी गई सुरक्षा जमा (एस.डी.) (पाँच प्रतिशत) को ठेके के अंतर्गत सम्पूर्ण कार्य के निर्माण की पूर्णता पर बैंक गारंटी (बी.जी.) में परिवर्तित किया जाएगा। बैंक गारंटी एक वर्ष की त्रुटि देयता अवधि की पूर्णता के 90 दिवस पश्चात तक वैध रहेगी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि मंडलेश्वर एवं मनावर संभागों ने चरण–II, चरण–III एवं चरण–IV (समूह–II) के अंतर्गत सम्पूर्ण कार्य के पूर्ण होने से पहले बैंक गारंटियों के बदले में ₹ 34.52 करोड़ की सुरक्षा जमा को विमुक्त किया (नवम्बर 2008 से फरवरी 2017)। इस प्रकार, सुरक्षा जमा के बैंक गारंटी में अनियमित परिवर्तन के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को अदेय वित्तीय लाभ हुआ।

एन.वी.डी.डी. ने बताया (जनवरी 2018) कि अनुबंध की शर्त 108.1 के अनुसार सुरक्षा जमा को बैंक गारंटी में परिवर्तित किया गया था। बैंक गारंटी में परिवर्तित की गई सुरक्षा जमा को नहर प्रणाली के सफल रूप से पूर्ण होने एवं त्रुटि देयता अवधि की समाप्ति के बाद विमुक्त किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सुरक्षा जमा को कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात ही बैंक गारंटी में परिवर्तित किया जाना था।

अनुशंसा

एन.वी.डी.डी. सतर्कता के दृष्टिकोण से बैंक गारंटी के विरूद्ध सुरक्षा जमा की अनियमित वापसी का परीक्षण कर सकता है।

2.1.8.5 ठेकेदार को अग्रिम में किए गए भुगतान

अनुबंध की शर्त 106 के अनुसार, ठेकेदार को भुगतान, अनुबंध के परिशिष्ट 'एफ' में भुगतान अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार प्रभावी किया जाएगा। परिशिष्ट 'एफ' में दर्शाए गए भाग को भुगतान के उद्देश्य से आगे और उपयुक्त उप–खण्डों और उनके

चरणों में विभाजित किया जाएगा। विस्तृत भुगतान अनुसूची (डी.पी.एस.), जो कि अनुबंध का भाग बनेगी, में उप–खण्डों को मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित किया जाना था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि चरण–I नहर कार्यों के लिए, बड़वाह संभाग ने अनुबंध के परिशिष्ट 'एफ' के अनुसार देय भुगतानों के आधिक्य में ठेकेदार को ₹ 5.22 करोड़ का भुगतान किया, जैसा कि **तालिका 2.1.10** में विवरण दिया गया है।

तालिका 2.1.10: अनुबंध के परिशिष्ट 'एफ' से परे अनियमित भुगतान का विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

कार्य का भाग	कार्यों की मद	परिशिष्ट 'एफ' के अनुसार भुगतान योग्य राशि	भुगतान की गई राशि	अधिक भुगतान
कॉमन वाटर केरियर	सर्वेक्षण, मिट्टी कार्य एवं संरचनाएं	46.10	46.70	0.60
एल.बी.सी डायरेक्ट माइनर्स (संख्या 27)	सर्वेक्षण, मिट्टी कार्य एवं संरचनाएं	6.78	8.49	1.71
आर.बी.सी. मुख्य नहर	सर्वेक्षण, मिट्टी कार्य एवं संरचनाएं	23.23	26.14	2.91

(स्रोतः अनुबंध का परिशिष्ट 'एफ' एवं बड़वाह संभाग के अभिलेख)

एन.वी.डी.डी. ने उत्तर दिया (जनवरी 2018) कि ठेकेदार को ठेका लागत की सीमा के भीतर भुगतान किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भुगतान को ठेके के परिशिष्ट 'एफ' के अनुसार विनियमित नहीं किया गया था एवं कॉमन वाटर केरियर, एल.बी.सी. डायरेक्ट माइनर्स एवं आर.बी.सी. मुख्य नहर, भागों के अंतर्गत अधिक भुगतान, सम्पूर्ण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात ही समायोजित किया जाएगा।

- मनावर संभाग के अंतर्गत चरण–III में मिट्टी कार्य, लाइनिंग एवं संरचनाओं के डी.पी.एस. में, जब तक कि रूपांकित सेक्शन प्राप्त नहीं होता है, ठेकेदार को 95 प्रतिशत भुगतान प्रावधानित था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि डॉवेल का निर्माण न होने के कारण डायरेक्ट माइनर के रूपांकित सेक्शन प्राप्त नहीं किए गए थे। डॉवेल का निर्माण न होने के लिए कोई कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। यद्यपि कार्यपालन यंत्री डी.पी.एस. से विचलित हुए एवं डायरेक्ट माइनर के मिट्टी कार्य, लाइनिंग एवं स्ट्रक्चर के लिए पूर्ण राशियों का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप डी.पी.एस. के अनुसार अनुमत राशि की तुलना में ₹ 1.08 करोड़[30] का अधिक भुगतान हुआ।

एन.वी.डी.डी. ने बताया कि ठेका राशि से परे टर्नकी एजेंसी को अधिक भुगतान नहीं किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि डॉवेल के निर्माण के बिना मिट्टी कार्य, लाइनिंग एवं संरचनाओं के लिए पूर्ण भुगतान किए गए थे, जो डी.पी.एस. की शर्तों के उल्लंघन में थे।

अनुशंसा

एन.वी.डी.डी. सर्तकता के दृष्टिकोण से अनुबंधों के अंतर्गत भुगतान अनुसूची के उल्लंघन में ठेकेदारों को अनियमित भुगतान हेतु जिम्मेदारी का निर्धारण एवं इन अनियमित भुगतानों का परीक्षण कर सकता है।

2.1.8.6 मोबिलाईजेशन एवं उपकरण अग्रिम की अपर्याप्त वसूली

ठेका अनुबंध की शर्त 113.6 के अनुसार, नियोक्ता अग्रिम भुगतान के तुल्य राशि हेतु बिना शर्त बैंक गारंटी के विरूद्ध ब्याज रहित मोबिलाईजेशन अग्रिम एवं उपकरण अग्रिम प्रदान करेगा। मोबिलाईजेशन एवं उपकरण अग्रिम की वसूली समस्त अंतरिम भुगतानों

[30] भुगतान की गई राशिः ₹ 21.55 करोड़ – योग्य राशि ₹ 20.47 करोड़

से सात प्रतिशत से अन्यून दर पर की जानी थी। मोबिलाईजेशन एवं उपकरण अग्रिम की सम्पूर्ण वसूली ठेका मूल्य के 80 प्रतिशत भुगतान से पहले या मूल ठेका अवधि के 80 प्रतिशत की पूर्णता, जो भी पहले हो तक की जानी थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि धामनोद एवं मनावर संभागों के अंतर्गत नहर के दो कार्यों[31] के 14 चल देयकों में मोबिलाइजेशन एवं उपकरण अग्रिम की वसूली कम से कम सात प्रतिशत की दर से प्रभावी नहीं की गई थी। इन 14 मध्यवर्ती भुगतानों में, वसूली की दर शून्य प्रतिशत से 6.24 प्रतिशत के मध्य थी। कम वसूली का कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। कम वसूली के परिणामस्वरूप, धामनोद संभाग में ₹ 1.17 करोड़ के मोबिलाईजेशन अग्रिम की वसूली छः माह से विलंबित हुई एवं मनावर संभाग में ₹ 1.08 करोड़ के उपकरण अग्रिम की वसूली तीन माह से विलंबित हुई थी।

एन.वी.डी.डी. ने बताया (जनवरी 2018) कि ठेके की बढ़ी हुई अवधि को सम्मिलित करते हुए कुल समय अवधि के 80 प्रतिशत की पूर्णता से पूर्व वसूली कर ली गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रत्येक देयक से न्यूनतम सात प्रतिशत की दर से अग्रिम की वसूली प्रभावी नहीं की गई थी जैसा कि अनुबंध के अंतर्गत वांछित था, इसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को अदेय लाभ हुआ।

2.1.8.7 अपूर्ण कार्यों के बावजूद पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाना

ओ.एस.पी. (नहरें) के चरण–IV, समूह–I के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र जुलाई 2017 में जारी किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि विभिन्न कार्य, जिनमें स्काडा प्रणाली के अपूर्ण कार्य, वितरण नेटवर्क पाइप के अपूर्ण परीक्षण एवं उच्च दाब (एच.टी.) लाईन के उन्नयन के अपूर्ण कार्य सम्मिलित थे, के बावजूद अधीक्षण यंत्री, धार ने पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया। 844 चकों में पानी के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए स्काडा प्रणाली को संस्थापित किया जाना था। प्रत्येक चक में स्काडा का एक भाग, दाबयुक्त प्रवाह नियंत्रण मापक यंत्र (पी.एफ.सी.एम.डी.) संस्थापित किया जाना था। यद्यपि, जुलाई 2017 की स्थिति में 602 की संख्या (844 में से) में पी.एफ.सी. एम.डी. संस्थापित किए गए थे।

एन.वी.डी.डी. ने बताया (जनवरी 2018) कि पम्प हाउस (पंपिंग स्टेशन जीरो) एवं सिसलिया तालाब पर स्काडा को संस्थापित किया गया था, जो वर्तमान में कार्यशील था। वितरण नेटवर्क में स्काडा प्रणाली के कार्यशील होने के बारे में, स्काडा प्रणाली के साथ पी.एफ.सी.एम.डी. बाक्स संस्थापित किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पी.एफ.सी.एम.डी. के कम संख्या में संस्थापन के कारण स्काडा प्रणाली सम्पूर्ण चक में प्रचालन में नहीं थी, जिससे सृजित सिंचाई क्षमता एवं पानी का समान वितरण प्रभावित हुए। इस प्रकार, ठेकेदार द्वारा सम्पूर्ण संविदागत दायित्व को पूरा किए बिना पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

2.1.8.8 नहरों के समान्तर पौधारोपण का क्रियान्वयन न होना

टर्नकी अनुबंध में उपबंधित है कि ठेकेदार को सम्पूर्ण मुख्य नहर एवं वितरिकाओं के समान्तर दोनो ओर 30 मीटर के अंतराल से छायादार वृक्षों का रोपण करना, समस्त पौधों के लिए कैटल–गार्ड की व्यवस्था करना, आवश्यक उर्वरक प्रदान करना, उन्हें प्रतिदिन पानी देना एवं जीवित रखना होगा। यदि कोई वृक्ष क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाता है तो ठेकेदार को इसे नए पौधे से बदलना एवं इन पौधों को ठेके की त्रुटि दायित्व अवधि तक संधारित करना होगा। ठेकेदार द्वारा उद्धृत ठेका लागत में ये सभी मदें सम्मिलित होंगी। डी.पी.आर. (2009) में पौधारोपण कार्य के लिए ₹ 10.74 करोड़ की राशि चिन्हांकित की गई थी।

[31] चरण–IV (समूह–I) एवं चरण–IV (समूह–II)

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि नहरों की 90 प्रतिशत पूर्णता के बावजूद भी ओ.एस.पी. (नहरें) के किसी भी चरण में ठेकेदारों ने पौधारोपण को कार्यांवित नहीं किया था। अनुबंध की शर्त के अनुसार, पौधारोपण को सुनिश्चित करने के अधीक्षण यंत्री, खेड़ीघाट के निर्देशों (मार्च 2014) के बावजूद भी टर्नकी ठेकेदारों द्वारा पौधारोपण कार्यों को, कार्यपालन यंत्री सुनिश्चित नहीं कर सके। आगे, अधीक्षण यंत्री, धार ने ओ. आर.बी.एल.सी. मुख्य नहर के समान्तर ठेकेदार द्वारा पौधारोपण के बिना चरण–IV (समूह–I) के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया था।

एन.वी.डी.डी. ने बताया (जनवरी 2018) कि पौधारोपण का कार्य पहले प्रारंभ किया गया था किन्तु निर्माण कार्यों के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका। यद्यपि, कॉमन वाटर कैरियर एवं मुख्य नहरों में, जहाँ जगह उपलब्ध थी, कुछ पौधारोपण पूर्ण किया गया था। अब पौधारोपण प्रारम्भ किया गया था एवं कार्य को अंतिम रूप देने से पूर्व पूर्ण किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कार्य की इस मद के क्रियान्वयन को माप पुस्तिकाओं में अभिलेखित नहीं किया गया था एवं कॉमन वाटर केरियर एवं मुख्य नहरों के समान्तर पौधारोपण के समर्थन में कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया था।

अनुशंसा

एन.वी.डी.डी. को सभी मुख्य नहरों एवं वितरिकाओं के समान्तर ठेकेदारों द्वारा पौधारोपण को सुनिश्चित करना चाहिए जिसे माप पुस्तिकाओं में भी अभिलेखित किया जाना चाहिए। एन.वी.डी.डी. को ठेकेदार द्वारा समस्त संविदागत दायित्व को पूर्ण किए बिना चरण–IV (समूह–I) के लिए पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करना चाहिए।

2.1.8.9 पाइप के परिमाप के त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन के कारण अतिरिक्त लागत

म.प्र. निर्माण विभाग नियमावली की कण्डिका 2.006 प्रावधानित करती है कि प्रत्येक कार्य हेतु सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के लिए उचित रूप से विस्तृत प्राक्कलन तैयार किए जाने चाहिए। आई.एस. कोड 3589: 2001 प्रावधानित करता है कि दो मीटर व्यास के पाइप की मोटाई 16 मिलीमीटर रहेगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि मुख्य अभियंता, एल.एन.पी. इन्दौर द्वारा 14 मिलीमीटर की मोटाई के साथ दो मीटर व्यास वाले पाइप से राइज़िंग मेन पाइप लाइन के फेब्रिकेशन, बिछाने एवं जोड़ने के लिए तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई (अगस्त 2012)। यह आई.एस. कोड 3589: 2001 के अनुरूप नहीं था क्योंकि दो मीटर व्यास के पाइप के लिए 16 मिलीमीटर मोटाई होनी चाहिए। आगे संवीक्षा में प्रकट हुआ कि मुख्य अभियंता एल.एन.पी., इन्दौर ने 14 मिलीमीटर मोटाई के साथ 1.80 मीटर के घटे हुए परिमाप के पाइप के लिए प्रावधान किए गए ठेकेदार के आरेखन को अनुमोदित किया।

इस प्रकार, विस्तृत प्राक्कलन जो कि तकनीकी स्वीकृति में अनुमोदित किए गए थे, उच्चतर परिमाप के पाइप के साथ बनाए गए थे किन्तु ठेकेदार के आरेखन को अनुमोदित करते समय संविदा–लागत में संगत कमी किए बिना, क्रियान्वयन के स्तर पर परिमाप को कम किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, 46,921 मीटर लम्बाई में कार्य के क्रियान्वयन पर ₹ 20.72 करोड़ का अदेय वित्तीय लाभ हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट 2.2** में विवरण दिया गया है।

एन.वी.डी.डी. ने बताया (जनवरी 2018) कि ₹ 432 करोड़ की प्राक्कलित लागत के साथ निविदा आमंत्रित की गई थी जबकि अंतिम ठेका मूल्य ₹ 396.39 करोड़ था। इस प्रकार, पाइप के कम व्यास के कारण ₹ 35.61 करोड़ की लागत की कमी विभाग के पास पहले से उपलब्ध थी। एक टर्नकी ठेका होने के कारण, निविदाकार विशिष्टियों के अनुसार उसके रूपांकन एवं आरेखन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि प्रतिस्पर्धात्मक निविदाकरण के कारण लागत में कमी को विशिष्ट रूप से पाइप के व्यास में कमी के साथ संदर्भित नहीं किया जा सकता । आगे, मुख्य अभियंता ने तकनीकी स्वीकृति में दो मीटर व्यास एवं 14 मिलीमीटर मोटाई के पाइप को प्रावधानित करने में त्रुटि की थी क्योंकि प्राक्कलन में पाइप का व्यास आई.एस. 3589: 2001 के अनुसार पाइप की मोटाई के अनुरूप नहीं था। पाइप के अतिरिक्त व्यास को सम्मिलित किए जाने के परिणामस्वरूप, स्टील की मात्रा की बचत के रूप में कार्यान्वयन के स्तर पर ठेकेदार को अदेय लाभ हुआ।

2.1.9 परिवीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण

2.1.9.1 कार्यों का अवमानक क्रियान्वयन

टर्नकी अनुबंधों के अनुसार, कार्यों को संबद्ध भारतीय मानक (आई.एस.) संहिताओं के प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वित किया जाना था। आई.एस.: 10430 (2000) की कण्डिका 8.5, नहरों के पार्श्व ढलानों के पीछे से वर्षा जल के प्रविष्ट होने को रोकने हेतु लाइनिंग के ऊपर सीमेंट कॉंक्रीट कोपिंग की आवश्यकता को प्रावधानित करती है। ऊपर कोपिंग की चौड़ाई, तीन क्यूमेक तक प्रवाह के लिए 225 मिलीमीटर, तीन क्यूमेक से अधिक प्रवाह के लिए 350 मिलीमीटर एवं 10 क्यूमेक से अधिक प्रवाह के लिए 550 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। आगे, जल संसाधन विभाग द्वारा जारी की गई सिंचाई विशिष्टियों के अनुसार, कोपिंग की चौड़ाई 350 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि जहाँ पर प्रवाह तीन क्यूमेक से अधिक था, ओ.एस.पी. (नहरें) में नहर लाइनिंग की कोपिंग के कार्य 300 मिलीमीटर की कम चौड़ाई के साथ कार्यान्वित किए गए थे, जो अनुबंध में प्रावधानित चौड़ाई से कम थी। इसके परिणामस्वरूप नहर कार्यों का अवमानक क्रियान्वयन हुआ, इसके अतिरिक्त कम चौड़ाई में कोपिंग के क्रियान्वयन के कारण ठेकेदार को ₹ 3.08 करोड़ का अदेय लाभ हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 2.3** में दिया गया है।

एन.वी.डी.डी. ने बताया (जनवरी 2018) कि कोपिंग की चौड़ाई, स्थल पर उपलब्ध भू–परत के आधार पर निर्धारित की गई थी एवं निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न क्रॉस–सेक्शन में समान चौड़ाई दर्शाई गई थी एवं तद अनुसार निर्माण के दौरान कोपिंग की चौड़ाई 300 मिलीमीटर ली गई थी। इसलिए, टर्नकी ठेकेदार को कोई वित्तीय लाभ नहीं दिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कार्यों का क्रियान्वयन आई.एस. कोड के अनुसार किया जाना अनुबंध में प्रावधानित था, जिसमें नहर के प्रवाह के आधार पर कोपिंग नियत थी, न कि स्थल पर उपलब्ध भू–परत के आधार पर।

2.1.9.2 सीमेंट कॉंक्रीट कार्यों एवं मिट्टी कार्य के लिए अपर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण

अनुबंध की शर्त 89 के अनुसार, प्रभारी अभियंता ठेकेदार को किसी भी त्रुटि के लिए नोटिस देगा। ठेकेदार त्रुटि को, त्रुटि सुधार अवधि के भीतर नियोजक की किसी लागत के बिना ठीक करेगा। त्रुटि सुधार अवधि कार्य की त्रुटि को सुधारने के लिए प्रभारी अभियंता से नोटिस को ठेकेदार द्वारा प्राप्त किए जाने की दिनांक से 14 दिवस होती है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्न प्रकट हुआ:

कारम एक्वॉडक्ट (चरण–II) से सीपेज का दृश्य (स्थिति जून 2017)

- जैसा कि आई.एस.: 456 (2000) के अंतर्गत मानदण्डों में निर्धारित है, सीमेंट कॉंक्रीट (सी.सी.) एम.–15 की कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ (28 दिवस के पश्चात) 150 कि.ग्रा./से.मी^{2}. होनी चाहिए। मंडलेश्वर संभाग में, एम.–15 सी.सी. लाइनिंग[32], ड्रेनेज साइफन[33], सुपर पासेज[34], एवं कारम एक्वॉडक्ट की कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ (28 दिवसों के पश्चात) 48.30 से 149.49 कि.ग्रा./से.मी^{2}. तक के परास में थी। इसी प्रकार, बड़वाह संभाग[35] में, यह दो टेस्ट रिपोर्ट में 114.76 कि.ग्रा./से.मी^{2} एवं 107.21 कि.ग्रा./से.मी^{2} थी। इस प्रकार, नमूना जाँच किए गए प्रकरणों में, सी.सी. लाइनिंग एवं अन्य हाइड्रॉलिक संरचनाओं की कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निर्धारित मापदण्ड से कम थी। लेखापरीक्षा ने नहरों के स्थल दौरे के दौरान कारम एक्वॉडक्ट से रिसाव देखा (जून 2017)।

- नहरों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, आर.बी.सी. एवं एल.बी.सी. की मुख्य नहरों की विभिन्न दूरियों में क्षति एवं दरारें पाई गई, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है।

आर.बी.सी. मुख्य नहर (चरण–II) की क्षतिग्रस्त सी. सी. लाइनिंग का दृश्य (जून 2017 की स्थिति में)

आर.बी.सी. मुख्य नहर (चरण–I) की क्षतिग्रस्त सी. सी. लाइनिंग का दृश्य (जुलाई 2017 की स्थिति में)

यह नहरों के निर्माण के अपर्याप्त परिवीक्षण का सूचक भी था क्योंकि म.प्र. निर्माण विभाग नियमावली भाग– II के अनुसार, हाइड्रॉलिक संरचनाओं की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री एवं उप संभागीय अधिकारी (एस.डी.ओ.) पूर्ण रूप से उत्तरदायी थे। प्रभारी अभियंता ने भी त्रुटियों के सुधार हेतु कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की ।

एन.वी.डी.डी. ने बताया (जनवरी 2018) कि सभी कार्य ठीक स्तर के हैं, सभी टेस्ट रिपोर्ट ठीक थीं एवं अवलोकित की गई कोई भी त्रुटि समय के भीतर सुधार ली जाएगी। वर्तमान में कार्य प्रगति पर थे इसलिए आर.बी.सी. एवं एल.बी.सी. की मुख्य नहरों की विभिन्न दूरियों में पाई गई क्षतियों एवं दरारों का सुधार, नहर कार्य को अंतिम रूप देने से पूर्व करा लिया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नहर लाइनिंग एवं हाइड्रॉलिक संरचना के प्रतिवेदित प्रकरण में सीमेंट कॉंक्रीट के कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के जाँच परिणाम आई.एस. कोड के अनुसार नहीं थे, जिसके अधिक गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

---

[32] आर.बी.सी. की आर.डी. 36,310 मीटर से आर.डी. 36,260 मीटर एवं आर.डी. 53,000 मीटर

[33] आर.बी.सी. की आर.डी. 25,485 मीटर एवं आर.डी. 25,200 मीटर

[34] आर.डी. 49,410 मीटर

[35] कॉमन वाटर केरियर की सी.सी. लाइनिंग आर.डी. 1,625 मीटर एवं आर.डी. 1,650 मीटर

- आई.एस. 13916: 1994 की कण्डिका 3.5 के अनुसार, पाइप ज़ोन क्षेत्रों को पाइप के ऊपर न्यूनतम 300 मि.मी. की अच्छी दानेदार मिट्टी एवं 300 मि.मी. की न्यूनतम गहराई वाली द्वितीयक पश्च भराई से भरा जाना था।

धामनोद संभाग में, 3.43 लाख मीटर पाइप की पश्च भराई (बैक फिलिंग) के लिए ठेकेदार को ₹ 3.32 करोड़ का भुगतान किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि ठेकेदार को कार्य के क्रियान्वयन (खन्ती की पश्चभराई) को चलित मीटर में माप लेते हुए भुगतान किया गया था। इस प्रकार, क्षेत्र अभियंताओं ने ग्रेनुलर मिट्टी एवं द्वितीयक पश्च भराई की क्रियान्वित मात्रा के आयतन को नहीं मापा था। यह अनुबंध की शर्त 106.10 का उल्लंघन था, जिसमें प्रावधानित था कि सभी छुपी हुई मापों को अभिलेखित किया जाना था एवं भुगतान के पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा 100 प्रतिशत जाँच की जानी थी।

एन.वी.डी.डी. ने बताया (जनवरी 2018) कि पाइपों पर पश्च भराई की गई थी एवं भुगतान अनुसूची मद के आधार पर माप लिए गए थे। पाइपों के ऊपर पश्च भराई विशिष्टियों के अनुसार की गई थी एवं ठीक स्तर की थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आई.एस. कोड के अनुसार कार्यों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पश्च भराई की मोटाई को मापा एवं माप पुस्तिका में अभिलेखित नहीं किया गया था।

अनुशंसा

एन.वी.डी.डी. को सुनिश्चित करना चाहिए कि समस्त त्रुटिपूर्ण नहर कार्य तुरंत ठीक किए जाएं ताकि इससे नहरों एवं संबद्ध हाइड्रॉलिक संरचनाओं की मजबूती प्रभावित न हो।

2.1.10 ओ.एस.पी (नहरें) कमानक्षेत्र में फसल उत्पादन

ओ.एस.पी. (नहरें) के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में परियोजना के पूर्ण होने के बाद कमान क्षेत्र में 11.96 लाख टन अनाज (2.80 लाख टन रबी फसलों एवं 9.16 लाख टन खरीफ फसलों) के उत्पादन को परिकल्पित किया गया। ओ.एस.पी. (नहरें) के कमान क्षेत्र में आठ फसलों[36] के उत्पादन की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि इन फसलों का उत्पादन 2012–13 में 6.54 लाख टन से बढ़कर 2016–17 में 12.73 लाख टन हो गया। उत्पादन में वृद्धि मुख्य रूप से बुआई क्षेत्र में 22 प्रतिशत वृद्धि एवं उत्पादकता (प्रति हेक्टेयर औसत उत्पाद) गेंहू (32 प्रतिशत), मक्का (40 प्रतिशत) एवं चना (100 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण हुई थी। यद्यपि, पाँच अन्य फसलों की उत्पादकता कम रही, जैसा कि **तालिका 2.1.11** में विवरण दिया गया है।

तालिका 2.1.11: ओ.एस.पी. (नहरें) के कमान क्षेत्र में फसलों की उत्पादकता

फसल का नाम	उत्पादकता (प्रति हेक्टेयर टन में)		
	डी.पी.आर. के अनुसार	2012–13 के दौरान वास्तविक	2016–17 के दौरान वास्तविक
धान	4.00	0.79	1.13
मटर	1.50	0.49	0.56
मूंगफली	3.50	1.11	1.44
कपास	2.50	1.09	1.88
गन्ना	60.00	29.36	45.02

(स्रोत: ओ.एस.पी. (नहरें) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवं कृषक कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा प्रदाय आँकड़े)

[36] रबी फसल (गेहूँ, चना, मटर एवं गन्ना) एवं खरीफ फसल (धान, मक्का, मूंगफली एवं कपास)

2.1.11 ओ.एस.पी. (नहरें) से पेयजल की आपूर्ति

परियोजना के उद्देश्यों में से एक ओ.एस.पी. (नहरें) के चरण–II, चरण–III एवं चरण–IV के कमान क्षेत्र में बस्तियों को 75 एम.सी.एम. पेयजल प्रदाय करना था। ओ.एस.पी. (नहरें) के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में बस्तियों को जल प्रदाय करने हेतु इन्टेक वेल के निर्माण एवं पाइपलाइन बिछाने के लिए ₹ 13.88 करोड़ का प्रावधान किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि ओ.एस.पी. (नहरें) के चरण–II, चरण–III एवं चरण–IV के कमान क्षेत्र में चिह्नित ग्रामों को नहरों से पेयजल की आपूर्ति नहीं की जा रही थी।

मुख्य अभियंता ने बताया (जुलाई 2018) कि ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत/नगर पालिका/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से कोई मांग नहीं थी, किन्तु मांग की प्राप्ति पर पेयजल की सुविधा प्रदान की जा सकती थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पेयजल की आपूर्ति के लिए इन्टेक वेल के निर्माण एवं पाइप लाइन के बिछाने के लिए डी.पी.आर. में विशेष रूप से प्रावधान किया गया था, हालांकि, एन.वी.डी.ए. उसे लागू करने में विफल रहा। सुविधाएं प्रदान कर दी गई होतीं, उसके बाद ही मांग का प्रश्न उठता ।

2.1.12 निष्कर्षों का सारांश

- ओ.एस.पी. (नहरें), मार्च 2014 तक, जिसमें 1.47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होना परिकल्पित था, भूमि अधिग्रहण में विलंब, ठेकेदारों द्वारा कार्यों के क्रियान्वयन की धीमी प्रगति एवं अपर्याप्त परिवीक्षण के कारण अपूर्ण रहा। ठेकेदारों से, उन पर आरोपणीय धीमी प्रगति के लिए शास्तियां आरोपित/वसूल नहीं की गई थीं। एन.वी.डी.ए. ने धीमी प्रगति के कारण किसी भी ठेके को समाप्त करने एवं कार्यों की पुनर्निविदा करने हेतु भी कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की।

- सी.ए.डी. कार्य, नहर कार्यों के निर्माण के साथ–साथ प्रारंभ नहीं किए गए थे। ओंकारेश्वर बाँध में पानी की अपर्याप्त उपलब्धता के अतिरिक्त, 1.28 लाख हेक्टेयर की सृजित सिंचाई क्षमता के उपयोग में सी.ए.डी. कार्यों में विलंब एवं अपूर्ण वितरण नेटवर्क के कारण 52 प्रतिशत की कमी थी ।

- उद्वहन सिंचाई नहरों के लिए आयोजना अपर्याप्त थी। सिसलिया तालाब में से प्रवाह क्षमता में पाँच क्यूमेक पानी की कमी थी, जिससे ओ.आर.बी.एल.सी. एवं एन.के.एस.एल. का भरण किया जाना था। ओ.आर.बी.एल.सी. की पाइप मुख्य नहर के लिए चक आयोजना से पूर्व भूमि अधिग्रहण के कारण परिहार्य अधिक व्यय हुआ। लेखापरीक्षा ने ठेकेदारों को अधिक भुगतान, मूल्य समायोजन का अनियमित भुगतान एवं बैंक गारंटी के विरूद्ध सुरक्षा जमा की अनियमित वापसी जैसे अक्षम ठेका प्रबंधन के दृष्टांत भी देखे।

- नहर कार्यों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण भी अपर्याप्त था। कोपिंग जो नहर लाइनिंग के नीचे पानी के प्रवेश को रोकती है, अवमानक थी। लेखापरीक्षा ने प्रकरण देखे जहाँ पर सीमेंट कॉंक्रीट लाइनिंग एवं अन्य हाइड्रॉलिक संरचनाओं के कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के जाँच परिणाम निर्धारित मानदण्डों से निम्नतर थे। नहर लाइनिंग में क्षतियाँ एवं दरारें भी देंखी गई थी। यद्यपि इन अवमानक कार्यों के सुधार के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

2.1.13 अनुशंसाओं का सारांश

- एन.वी.डी.डी. को ठेकेदारों की उत्तरदेयता को निर्धारित करने के लिए ओ.एस.पी. (नहरें) में विलंब के समस्त प्रकरणों की समीक्षा करनी चाहिए एवं टर्नकी अनुबंधों के प्रावधानों के अनुसार शास्ति आरोपित की जा सकती है। एन.वी.डी.डी. को अनुबंध एवं संबद्ध उच्चाधिकारियों के आदेशों के अनुसार, विलंब के लिए शास्ति न आरोपित करने के लिए क्रमशः मुख्य अभियंता एवं कार्यपालन यंत्री की उत्तरदेयता निर्धारित करने के लिए भी प्रकरणों की समीक्षा करनी चाहिए। एन.वी.डी.डी. यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि मैदानी अभियंताओं द्वारा प्रत्येक टर्नकी ठेके के अंतर्गत कार्यों की प्रगति की पर्याप्त रूप से निगरानी की जाती है ताकि ओ.एस.पी. (नहरें) की पूर्णता के लिए पुनरीक्षित लक्ष्य के भीतर सम्पूर्ण नहर प्रणाली को पूर्ण किया जा सके।

- एन.वी.डी.डी. को सी.ए.डी. कार्यों के तीव्र क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए, विशेष रूप से उन कमान क्षेत्रों में जहॉ सिंचाई क्षमता सृजित की गई थी किन्तु अनुपयोगित रह गई थी ताकि नहरों में उपलब्ध पानी का लाभ न्यूनतम समय में किसानों तक पहुँच सके ।

- एन.वी.डी.डी. को भूमि अधिग्रहण की मात्रा को निर्धारित करने के लिए म.प्र. निर्माण विभाग नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण न करने, जिसके कारण ओ.आर.बी.एल.सी. के लिए भूमि अधिग्रहण पर परिहार्य व्यय हुआ, के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करना चाहिए ।

- एन.वी.डी.डी. सतर्कता के दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना उप ठेकेदारों को भुगतान के लिए सम्पूर्ण प्रक्रिया की समीक्षा कर सकता है। एन.वी.डी.डी. अनुबंधों की निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन में ठेकेदारों को मूल्य समायोजन के भुगतान एवं सुरक्षा जमा के अनियमित समायोजन के लिए उत्तरदायित्व भी निर्धारित कर सकता है। अधिक भुगतान ठेकेदारों से वसूल किए जा सकते हैं।

- एन.वी.डी.डी. ठेकेदारों से अधिक भुगतान की वसूली कर सकता है एवं सर्तकता के दृष्टिकोण से ठेकेदारों को मूल्य समायोजन के अनियमित भुगतान का परीक्षण कर सकता है।

- एन.वी.डी.डी. सतर्कता के दृष्टिकोण से बैंक गारंटी के विरूद्ध सुरक्षा जमा की अनियमित वापसी का परीक्षण कर सकता है।

- एन.वी.डी.डी. सर्तकता के दृष्टिकोण से अनुबंध के अंतर्गत भुगतान अनुसूची के उल्लंघन में ठेकेदारों को अनियमित भुगतान हेतु जिम्मेदारी निर्धारण एवं इन अनियमित भुगतानों का परीक्षण कर सकता है।

- एन.वी.डी.डी. को सभी मुख्य नहरों एवं वितरिकाओं के समान्तर ठेकेदारों द्वारा पौधारोपण को सुनिश्चित करना चाहिए जिसे माप पुस्तिका में भी अभिलेखित किया जाना चाहिए। एन.वी.डी.डी. को ठेकेदार द्वारा समस्त संविदागत दायित्वों को पूर्ण किए बिना चरण– IV (समूह–I) के लिए पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करना चाहिए।

- *एन.वी.डी.डी. को सुनिश्चित करना चाहिए कि समस्त त्रुटिपूर्ण नहर कार्य तुरंत ठीक किए जाएं ताकि इससे नहरों एवं संबद्ध हाइड्रॉलिक संरचनाओं की स्ट्रेंथ प्रभावित न हो।*